[2019] 17 एस. सी. आर. 474

आंध्र प्रदेश लिमिटेड का हस्तांतरण निगम

वी.

एम/एस रेन कैल्सीनिंग लिमिटेड और अन्य

(2003 की सिविल अपील सं. 4569)

नवंबर 29,2019

[अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह और बी. आर. गवई, जे. जे.]

आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1998: एसएस। 11 , 26 - व्हीलिंग निर्धारित करने के लिए ए. पी. ई. आर. सी. (आयोग) की क्षमता

शुल्क एस। 11 मुख्य रूप से उत्पादन, संचरण और वितरण से संबंधित-ये तीन प्रक्रियाएं सुझाव देती हैं कि एस। 11 इसके केन में व्हीलिंग शुल्क को ठीक करने की शक्ति शामिल है

संचरण और थोक आपूर्ति या वितरण और खुदरा आपूर्ति से संबंधित शुल्क और शुल्क निर्धारित करने की पूर्ण शक्ति है जैसा कि विनियमन 45-ए (2) के तहत प्रदान किया गया है। विनियम 45-ए (8), अनुज्ञप्तिधारी और ऐसे अन्य लोगों की सुनवाई करने पर

पक्षकार, आयोग एक आदेश देता है और राजस्व गणना और प्रशुल्क प्रस्तावों पर अपने निर्णय के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करता है, जैसा कि एस में प्रदान किया गया है। 26 (5) सुधार अधिनियम, 1998-इस प्रकार, आयोग ऐसे शुल्कों को निर्धारित करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है,

कौन सी शक्ति विधायी है-वचन रद्द करने के न्यायसंगत सिद्धांतों को आकर्षित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस मामले में कोई स्पष्ट वादा नहीं था, और वैधानिक प्रावधान अनुबंधों को लागू कर सकते हैं और उनका स्थान ले सकते हैं-बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948-आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (व्यवसाय)

आयोग के नियम), विनियम, 1999।

आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1998: ग्रिड समर्थन शुल्क आयोग निर्धारित करने के लिए आयोग की क्षमता

दिनांक 1 के आदेश में कहा गया है कि ग्रिड समर्थन शुल्क सी. पी. पी. क्षमता और सी. एम. डी.-स्वामित्व के अंतर पर प्रचलित मांग शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से देय होगाः

एस के तहत। 11 एस के साथ पढ़ें। 26 सुधार अधिनियम, 1998 के अनुसार, वितरण और ग्रिड समर्थन शुल्क के तहत सभी निश्चित शुल्क केवल एक वितरण कंपनी के कहने पर ही लगाए जा सकते हैं और आयोग के पास इसे निर्धारित करने की शक्तियां हैं।

आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1998: क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों से बिजली के उत्पादकों को विशिष्ट प्रोत्साहन देने के लिए 18.11.1997 और 22.12.1998 पर जारी किए गए सरकारी आदेश बाध्यकारी हैं और इसके खिलाफ वादा रोकने का सिद्धांत बाध्यकारी है

सरकार और आयोग उन्हें लागू करने के लिए बाध्य थे-आयोजितः वादा रद्द करने की याचिका आकर्षित नहीं होती है, क्योंकि कोई स्पष्ट वादा नहीं था-नियामक आयोग के पास शुल्क और प्रोत्साहन की समीक्षा करने की शक्ति थी-कोई स्पष्ट नहीं था

आने वाले सभी समय के लिए राज्य को बांधने के लिए प्रत्यर्थी/खरीदारों/उत्पादकों/विकासकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता कोई निश्चित नहीं थी,

असंदिग्ध प्रतिनिधित्व, इसलिए बहिष्कार की याचिका आकर्षित नहीं हुई।

आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1998: अधिनियम का उद्देश्य-चर्चा की गई।

आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1998: ए. पी. टी. आर. एन. सी. ओ.

संविधान और कार्य-चर्चा की गई।

प्रशासनिक कानूनः न्यायिक समीक्षा-ए. पी. ई. आर. सी. (आयोग) द्वारा शुल्क निर्धारण-हस्तक्षेप का दायरा-आयोजितः एक बार विशेषज्ञ निकाय द्वारा विशिष्ट शुल्क निर्धारित किए जाने के बाद, ऐसे मामलों में सामान्य रूप से हस्तक्षेप करना न्यायालय का काम नहीं है-तत्काल मामले में, आयोग द्वारा शुल्क का निर्धारण उचित था और किसी भी दुर्बलता या अवैधता से पीड़ित नहीं था-आयोग ने इस आंकड़े पर पहुंचने के लिए एक विस्तृत चर्चा की-वसूली नेटवर्क शुल्क, शुल्क संरचना, और नकद या किसी अन्य प्रकार में व्हीलिंग शुल्क के सवाल पर भी विचार किया गया-हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः

1. इन आरईः कार्यकाल समाप्त करने के लिए आवेदन की प्रतिस्पर्धा

पहियों के शुल्क 1.1 सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 11 [2019] 17 एस. सी. आर. से संबंधित है।

आयोग के कार्य। धारा 11 (1) (ए) के तहत आयोग संबंधित मामलों में सहायता और सलाह देगा।

राज्य में बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और आपूर्ति। धारा 11 (1) (बी) आयोग को लाइसेंसधारियों के कामकाज को विनियमित करने और कुशल, किफायती और न्यायसंगत तरीके से उनके काम को बढ़ावा देने का अधिकार देती है। आयोग के पास धारा 11 (1) (सी) के तहत जारी करने की शक्ति है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस। धारा 11 (1) (डी) आयोग को बिजली के उपयोग में दक्षता, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को बढ़ावा देने का भी अधिकार देती है। खंड के तहत

11 (1) (ङ) आयोग के पास बिजली की खरीद, वितरण, आपूर्ति और उपयोग को विनियमित करने की शक्ति है।

वार्षिक अपेक्षित कुल राजस्व की गणना, और आयोग के पास लाइसेंसधारियों के लिए शुल्क तय करने की शक्ति है जिसमें पारेषण के लिए लाइसेंस भी शामिल होगा। द.

आयोग को व्हीलिंग शुल्क निर्धारित करते समय, आदेश में निर्दिष्ट किए गए तय किए गए सिद्धांतों पर और धारा 11,15 और 26 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करना होगा। [पारस 34,35,36] [509-एफ-एच; 501-ए-डी-ई]

अशोक साबुन कारखाना बनाम। दिल्ली नगर निगम (1993) 2 एससीसी 37: [1993] 1 एससीआर 124; पवन अलॉयज एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, मेरठ बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (1997) 7 एस. सी. सी. 251: [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 266; तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम। एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात, (1990)

सप. एससीसी 397: [1990] एस. सी. आर. 157; रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (1984)

सप. एससीसी 161: [1984] एस. सी. आर. 59 पर भरोसा किया।

1.2 आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक

आयोग (आयोग के कार्य नियम), विनियम, 1999 इन्हें पारगमन निगम की धारा 9, उप-धारा 2 और धारा 54, उप-धारा (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया था।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य

विनियमों, विभिन्न समझौतों में भी संशोधन किया गया है, और विनियमों के तहत पारेषण और थोक आपूर्ति से संबंधित शुल्क और शुल्क निर्धारित करने की पूर्ण शक्ति है या विनियमन 45-ए (2) में प्रावधान के अनुसार वितरण और खुदरा आपूर्ति।

विनियमन 45-ए (8) के तहत, यह स्पष्ट है कि लाइसेंसधारी और ऐसे अन्य पक्षों को सुनने पर जिन्हें आयोग उचित समझता है और ऐसी अन्य जांच करने पर,

आयोग एक आदेश देगा और सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 26 (5) में दिए गए राजस्व गणना और शुल्क प्रस्तावों पर अपने निर्णय के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करेगा। आयोग ऐसे प्रभारों को निर्धारित करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जो शक्ति विधायी है। वैधानिक अनुबंधों को बनाए गए विनियमों द्वारा हटा दिया गया है। नहीं।

एस्टोपेल बनाया जाता है। यह सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 12 के तहत सरकार के लिए आरक्षित नीति का विषय नहीं था। धारा 26 (5) के अनुसार, शुल्क निर्धारण का अभ्यास किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं और लाइसेंसधारियों को सुना गया था। वचन रद्द करने के न्यायसंगत सिद्धांतों को आकर्षित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस मामले में कोई स्पष्ट वादा नहीं था, और वैधानिक प्रावधान आगे बढ़ सकते हैं।

और अनुबंधों को हटा दें। [पैरा 39,45-47,54] [502-D-E; 509-E-F; 512-D-H; 513-A; 516-A-B]

पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग, (2010) 4 एससीसी 603 [2010] 3 एससीआर 609

पर भरोसा किया।

-

भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी बनाम। केरल राज्य विद्युत

बोर्ड, (1975) 2 एससीसी 414: [1976] 1 एस. सी. आर. 70; गुजरात राज्य वित्तीय निगम बनाम। लोटस होटल्स प्रा. लिमिटेड, (1983) 3 एस. सी. सी. 379; मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। , (1979) 2 एस. सी. सी. 409 [1979] 2 एस. सी. आर. 641; पवन मिश्र धातु और कास्टिंग

प्रा. लिमिटेड, मेरठ बनाम। यू. पी. राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य।

(1997) 7 एससीसी 251: [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 266; आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग बनाम। आर. वी. के. एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. , (2008) 17 एस. सी. सी. 769 [2008] 9 एस. सी. आर. 579; बिनानी जिंक लिमिटेड बनाम।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य। , (2009) 11 एस. सी. सी. 244 [2009] 4 एस. सी. आर. 636; अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड बनाम। गुजरात विद्युत नियामक आयोग और अन्य।

कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम समामेलित विद्युत कंपनी लिमिटेड, (2001) 1 एस. सी. सी. 586:

[2000] 5 पूरक। एससीआर 695-विशिष्ट।

1.3 उच्च न्यायालय विशेषज्ञों द्वारा लिए गए गुण-दोष के निष्कर्षों में हस्तक्षेप किए बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। आयोग द्वारा विचार किए गए विभिन्न पहलू। उच्च न्यायालय ने विभिन्न कारणों और आयोग द्वारा विचार किए गए विवरणों पर ध्यान नहीं दिया है और एक बार विशेषज्ञ निकाय द्वारा विशिष्ट शुल्क निर्धारित करने के बाद, ऐसे मामलों में सामान्य रूप से हस्तक्षेप करना अदालतों का काम नहीं है। निर्धारण उचित है और किसी भी दुर्बलता या अवैधता से पीड़ित नहीं है। आयोग ने इस आंकड़े पर पहुंचने के लिए विस्तृत चर्चा की है। वसूली नेटवर्क शुल्क, शुल्क संरचना और नकद या किसी अन्य प्रकार में व्हीलिंग शुल्क के सवाल पर भी विचार किया गया है।

[पैरा 61] [519-बी-डी]

1.4 प्रणाली के उपयोग को प्रणाली में नुकसान से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। सभी प्रणाली का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को प्रणाली के नुकसान को सहन करना चाहिए,

चाहे तकनीकी हो या गैर-तकनीकी। संयोग से, विशेष रूप से ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. और डिस्कॉम्स द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तें।

ऐसी बिजली देने के लिए संदर्भित करें, बिजली के नुकसान को समायोजित करें निर्दिष्ट बिंदु। प्रणाली में तकनीकी नुकसान को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि ये भी प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। यह.

एक एकीकृत प्रणाली है जहां बिजली की आपूर्ति विशेष बिजली के प्रत्यक्ष परिवहन के बजाय विस्थापन के आधार पर की जाती है, जिस पर बिजली वितरित की जाती है, उस वोल्टेज स्तर तक के तकनीकी नुकसान को मापा नहीं जा सकता है। कुल प्रणाली के तकनीकी नुकसान को ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह निर्धारित करना असंभव है कि किस स्रोत से बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य

विशेष ग्राहक। सभी स्रोतों से बिजली मिलती है।

प्रणाली में संयुक्त और अपनी पहचान खो देता है। चूंकि प्रणाली में निवेश भी किया गया है, इसलिए यह स्पष्ट था कि आवश्यक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। [पैरा 62] [519-ई-जी]

2. इन आरईः ग्रिड समर्थन शुल्क

ग्रिड समर्थन के शुल्क के लिए ग्रिड कोड आधार है

शुल्क, जिन्हें आयोग द्वारा 26.5.2001 पर अनुमोदित किया गया था। वही आक्षेपित क्रम में भी परिलक्षित होता है। इस प्रकार, एक अन्य सी. पी. पी. की स्थापना के मामले में, वह ग्रिड पर एक अतिरिक्त भार होगा, और सेटिंग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

ग्रिड के रूप में विस्तार के रूप में अतिरिक्त ग्रिड सी. पी. पी. कुशनिंग के रूप में कार्य करता है। धारा 26 के साथ पठित धारा 11 के अधीन सुधार अधिनियम, 1998, वितरण और ग्रिड समर्थन शुल्क के तहत सभी निश्चित शुल्क केवल एक वितरण कंपनी के कहने पर लागू किए जाते हैं, और आयोग के पास इसे निर्धारित करने की शक्तियां हैं। समझौतों में भी एक शक्ति है जहां बोर्ड एकतरफा रूप से ग्रिड समर्थन शुल्क तय कर सकता था, लेकिन

सुधार अधिनियम, 1998 के अधिनियमित होने के कारण आयोग में आवेदन दायर किया गया था। इसके बाद आयोग ने कानून के अनुसार आदेश पारित किया। उसी में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार, आयोग का आदेश

ग्रिड समर्थन शुल्क को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 64] [520-सी-एफ]

3. इन आरईः गैर-संयोजक की शुरुआत

ऊर्जा

3.1 सरकारी आदेश दिनांक 18.11.1997, प्रोत्साहित करता है

अक्षय ऊर्जा के स्रोत। इस योजना पर तीन साल तक नजर रखी जाएगी। उसके बाद, राज्य विद्युत बोर्ड प्रोत्साहनों को जारी रखने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव लेकर आएगा। वर्तमान रूप या संशोधित रूप। [पारस 66-67] [521-B-H; 522

3.2 आयोग ने वर्ष 2004-05,2005-06 और 2006-09 के लिए दिनांकित 22.3.2005 और 23.3.2006 टैरिफ आदेश पारित किए थे। अपीलक अनुमति देबामे ए. पी. टी. ई. एल. सही नहि छल।

और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि 18.11.1997 और 22.12.1998 दिनांकित नीतिगत निर्णयों का वह प्रभाव, जो एक वैधानिक स्वाद था, विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्रावधानों द्वारा दूर नहीं किया गया था और यह कि वचन निषेध का सिद्धांत आकर्षित है, हालांकि आयोग के पास व्हीलिंग शुल्क को विनियमित करने की शक्ति है।

प्रॉमिसरी एस्टोपेल की प्रयोज्यता पर विचार करने के लिए, यह देखना होगा कि क्या इन सरकारी आदेशों में लाभ बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता है। इसके विपरीत, लाभ केवल तीन साल तक सीमित था। आयोग ने सुधार अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत इसे समय-समय पर बढ़ाया और इस तरह का अंतिम विस्तार 28.7.2001 पर समाप्त हो गया। आयोग ने शुल्क निर्धारित करने वाले विवादित आदेश द्वारा लाभ का विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया। [पारस 68,69] [522-बी-एफ]

3.3 आंध्र के पारेषण निगम में यह न्यायालय

गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों से बिजली के उत्पादकों के लिए लागू। वर्ष 2003 में आयोग ने यह कार्य शुरू किया शुल्क की एक और समीक्षा। आयोग ने दिनांक 20.3.2004 के आदेश द्वारा शुल्क की राशि को कम कर दिया। नियामक आयोग के पास शुल्क और प्रोत्साहनों की समीक्षा करने की शक्ति थी। प्रत्यर्थी/खरीदारों/उत्पादकों/विकासकर्ताओं के लिए राज्य को हर समय बांधने की कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं थी।

आने के लिए। कोई निश्चित, स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए बहिष्कार की याचिका आकर्षित नहीं हुई थी। [पैरा 70] [522-जी-एच; 523-सी-डी]

3.4 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार किसी भी राज्य को किसी भी प्रकार की सब्सिडी देने की आवश्यकता होती है।

धारा 62 के तहत राज्य आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क में उपभोक्ता, राज्य सरकार, इसके बावजूद, निदेश जो धारा 108 के अधीन दिया जाए, अग्रिम रूप से और ऐसी रीति से भुगतान करें जो विनिर्दिष्ट की जाए -

में सब्सिडी के अनुदान से प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा दें

जिस तरह से राज्य आयोग निर्देश दे सकता है। सब्सिडी/प्रोत्साहन हस्तांतरण निगम है।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य

धारा 65 द्वारा शासित, और सरकार ने सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन जारी रखने के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। आयोग द्वारा पारित आदेश के कारण सरकार ऐसा करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने ऐसा लाभ नहीं दिया है। सब्सिडी देने के लिए राज्य को कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार, ए. पी. टी. ई. एल. का क्रम प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत पर आधारित है। सरकारी आदेशों दिनांक 18.11.1997 और 22.12.1998 के लाभ को जारी रखने के लिए, कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। [पारस 71,72] [526-बी-ई]

आंध्र प्रदेश लिमिटेड का पारेषण निगम

& एक अन्य वी। साई रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड और

अन्य, (2011) 11 एससीसी 34: [2010] 8 एससीआर 636-निर्भर

पर

के. रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य, ए. आई. आर 1985 एस. सी.

660 : (1985) 2 एससीसी 116: [1985] 2 एससीआर 1028; वी. एस.

चावल और तेल मिल्स बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य एयर

1964 एससी 1781: [1964] एससीआर 456; दीपक थिएटर,

धूरी वी. पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1519; डी. के.

त्रिवेदी एंड संस बनाम गुजरात राज्य, ए. आई. आर. 1986 एससी

1323 : 1986 एससीआर 479-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[1993] 1 एससीआर 124

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[1990] एससीआर 157

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[1984] एससीआर 59

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[1985] 2 एससीआर 1028

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

ए. आई. आर. 1992 एससी 1519

[1986] एससीआर 479

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[2010] 3 एससीआर 609

उस पर भरोसा करें

पैरा 33

[1964] एससीआर 456

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[1976] 1 एससीआर 70

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 49

[2000] 5 पूरक। एससीआर 695

विशिष्ट

पैरा 50

(1983) 3 एस. सी. सी. 379

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 54

[1979] 2 एससीआर 641

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 54

[2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1997] 3 पूरक। एससीआर 266

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 54

[2008] 9 एससीआर 579

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 54

अप्रयोज्य रखा गया

[2009] 4 एससीआर 636

पैरा 56

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 57

आकाशवाणी 2019 एससी 3397

[2010] 8 एससीआर 636

उस पर भरोसा करें

पैरा 70

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4569

2003 से।

उच्च न्यायालय के 18.04.2003 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2002 के सी. एम. ए. सं. 1025 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश का न्यायिक न्यायालय।

के साथ

सिविल अपील सं। 5085 , 5084 , 5052 , 5083 , 5079 , 5057 , 5053 , 5066 ,

5064 , 5068 , 5054 , 5071 , 5056 , 5077 , 5063 , 5055 , 5080 , 5062 , 5073 , 5069 , 5081 , 5076 , 5059 , 5065 , 5067 , 5075 , 5058 , 5082 , 5061 , 5072 , 5070 , 5074 , 5060 , 5078 , 7093 , 7103 , 7085 , 7086 , 7080 , 7090 , 7079 , 7084 , 7088 , 7104 , 7091 , 7089 , 7041 , 7083 , 7092 , 7087 , 7042 , 7102 , 7043-7078 , 8969 , 8970 , 8971 , 8974 , 8978 , 8972 , 8976 , 8975 , 8977 , 10125-10132 2003, 1945, 2004 का 1946-1947,2008 का 7029-7062।

वी. गिरि, बी. आदिनारायण राव, पराग त्रिपाठी, सी. एस. वैद्यनाथन,

सी. आर. श्रीधरन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , निशांत शर्मा, राकेश के. शर्मा, मातृगुप्त मिश्रा, सुश्री प्रतीक्षा चतुर्वेदी, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, वाई. राजा गोपाल राव, सी. गुणरंजन, सौर्ज्या दास, वी. आर. एन. प्रशांत, श्रीधर पोटाराजू, सुश्री शिवानी तुशीर, सुश्री श्वेता परिहार, सुश्री जी. उषा श्री, लालताक्ष जोशी, मनु नायर, कुबेर दीवान, सुश्री सुवर्णा कश्यप, एस. एस. श्रॉफ, सुश्री जयती पाराशर, ईशान नारायण, राजन नारायण, गोपाल चौधरी, सुश्री लिज़ मैथ्यू, सुश्री सोनाली जैन, नवनी आर. (मेसर्स के लिए)।), के. वी. मोहन, के. वी. बालकृष्णन, राहुल कुमार

शर्मा, मातृगुप्त मिश्रा, सुश्री प्रतीक्षा चतुर्वेदी, श्रीमती सरला चंद्र, सुश्री बीना माधवन (मेसर्स के लिए)। वकीलों की बुनाई और कंपनी), विश्वजीत सिंह, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, ऋषि अग्रवाल, राजेश कुमार, ई. सी. अग्रवाल, जी. रामकृष्ण प्रसाद, ए. वी. रंगम, बडी रंगानाधन, सुश्री स्तुति के., वी. जी. प्रगसम, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, निखिल स्वामी, सुश्री दिव्या स्वामी, श्रीमती प्रभा स्वामी, विकास मेहता, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, तुषार जैन, आलोक शंकर, पुखरंबम रमेश कुमार, उमेश कुमार खेतान, सुश्री के. ममता चौधरी, हितेंद्र कुमार रथ, रामकृष्ण नुक्कला, पल्लव मोंगिया, अभिनव, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

परिवहन निगम। आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

1. अपीलों के तीन समूह हैं; अधिकांश प्रश्न सामान्य हैं, जो विचार के लिए उत्पन्न होते हैं। अपीलों के पहले समूह में,

अपीलार्थी-आंध्र प्रदेश लिमिटेड पारेषण निगम (ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ.) द्वारा व्हीलिंग शुल्क लगाने के संबंध में विचार के लिए प्रश्न उत्पन्न होता है। अपीलों के दूसरे बैच में, ग्रिड समर्थन शुल्क लगाने के लिए ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. की क्षमता के बारे में विचार करने के लिए सवाल उठता है। मान लीजिए, अपीलों के तीसरे बैच का परिणाम अपीलों के पहले बैच के परिणाम पर निर्भर करता है। अपीलों के तीसरे बैच में, विचार के लिए सवाल उठता है कि वर्ष 1997-1998 के दौरान जारी सरकारी आदेश के अनुसार दिए गए व्हीलिंग शुल्क के संबंध में प्रोत्साहन जारी रखा जाना था, और क्या आयोग के पास उनकी समीक्षा करने की शक्ति थी।

2. स्वतंत्रता के बाद, बिजली उत्पादन, वितरण और पारेषण और अन्य संबंधित गतिविधियों को आंध्र द्वारा शुरू किया गया था।

प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (ए. पी. एस. ई. बी.) 1991 में बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम) में संशोधन के बाद जब बिजली क्षेत्र में उदारीकरण किया गया तो एपीएसईबी ने समझौते किए निजी उत्पादकों के साथ।

3. आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल ने आंध्र को अधिनियमित किया

प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1998 (सुधार अधिनियम, 1998)। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत राष्ट्रपति की सहमति के लिए इसे सुरक्षित रखा। आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक

आयोग (ए. पी. ई. आर. सी.) का गठन सुधार अधिनियम, 1998 के तहत 31.3.1999 पर किया गया था, जिसने 3.4.1999 से काम करना शुरू कर दिया था।

4. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत, संचरण और वितरण और उत्पादन को अलग कर दिया गया और ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. आया।

स्थापित करने के लिए। अधिनियम को 21.10.1998 पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और इसे 29.10.1998 पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। आई. डी. 1 पर, सुधार अधिनियम, 1998 को लागू किया गया था, और ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. ने संचरण के संबंध में ए. पी. एस. ई. बी. का स्थान लिया।

बिजली का वितरण और आपूर्ति।

5. ए. पी. ई. आर. सी. ने बिजली के पारेषण और थोक आपूर्ति से निपटने के लिए ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. को 31.1.2000 पर लाइसेंस संख्या1/2000 प्रदान किया।

सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 15 के अनुसार वितरण कार्य करने के लिए ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. को लाइसेंस संख्या 2/2000 दिया गया था।

दिए गए लाइसेंस नियम और शर्तों के अधीन थे, जिसके लिए लाइसेंसधारियों को अपेक्षित राजस्व गणना और शुल्क के आधार पर हर साल 31 दिसंबर से पहले एआरआर प्रस्ताव दाखिल करने की आवश्यकता होती थी। इसके बाद, 31.3.2000 पर चार डिस्कॉम बनाए गए, जिन्हें बिजली के वितरण के कार्य से जोड़ा गया था। बिजली का संचरण उत्पादन स्टेशनों से शहरी भार केंद्रों तक अतिरिक्त उच्च वोल्टेज स्तरों पर लंबी दूरी तक किया जाता है, जबकि बिजली का वितरण 33 केवी, 11 केवी स्तर से नीचे किया जाता है।

6. ए. पी. एस. ई. बी. का बुनियादी ढांचा, यानी पारेषण लाइनें, राज्य ग्रिड, उपकरण, प्रणालियां, ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. के पास आई। उच्च वोल्टेज प्रणाली ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. में निहित थी और

7. ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. ने सुधार अधिनियम, 1998 के तहत गठित आयोग के समक्ष वर्ष 2001-2002 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (ए. आर. आर.) दायर की। 30.12.2000 पर, प्रत्येक वितरण कंपनी (डिस्कॉम) ने ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. के साथ मिलकर अपने-अपने संयुक्त ए. आर. आर. आवेदन दाखिल किए। 17.1.2001 पर, ए. पी. टी. आर. ए. एन. सी. ओ. अपने पारेषण और थोक आपूर्ति व्यवसाय के लिए और वितरण और किराये की आपूर्ति व्यवसाय के लिए प्रत्येक डिस्कॉम प्रस्ताव के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 2001-02 के लिए शुल्क प्रस्ताव दायर किया। टैरिफ प्रस्ताव में राज्य में लाइसेंसधारी की बिजली प्रणाली का उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर व्हीलिंग शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी था। ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. ने एक प्रस्ताव रखा

अपने नेटवर्क के माध्यम से संचारित ऊर्जा के लिए 1 रुपये प्रति किलोवाट का व्हीलिंग शुल्क। 24.3.2001 पर, आयोग ने व्हीलिंग शुल्क के निर्धारण से संबंधित मुद्दे पर विचार करने का निर्णय लिया और निर्देश दिया

ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. इस संबंध में आवश्यक आवेदन और जानकारी दाखिल करेगा। 24.3.2002 पर, आयोग ने निर्धारित किया कि 1.4.2002 से प्रभावी वर्ष 2002-2003 के लिए व्हीलिंग शुल्क अपने नेटवर्क के माध्यम से संचारित ऊर्जा के लिए 50 पैसे प्रति किलोवाट होगा। इसके अलावा, परियोजना विकासकर्ता द्वारा लाइसेंसधारी के ग्रिड में ऊर्जा निवेश के 28.4 प्रतिशत के व्हीलिंग शुल्क को भी कारक बनाया जाना था क्योंकि सिस्टम को नुकसान हुआ था। आयोग के आदेश पर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित निर्णय और दिनांक 18.4.2003 के आदेश द्वारा सवाल उठाया गया था, आयोग के दिनांकित 24.3.2002 के आदेश को दरकिनार करते हुए अपील की अनुमति दी गई थी। अतः ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. और ए. पी. ई. आर. सी.

अपीलें करें। 8. ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. द्वारा स्थापित मामले में, यह कहा गया है कि अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पर बिजली के थोक संचरण का कारण, ट्रांसमिसन कॉर्प है।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

तकनीकी नुकसान (टी एंड डी नुकसान या कुल) को कम करने के लिए है।

हानि संचरण लाइनों की दूरी/लंबाई पर निर्भर करती है, अर्थात संचरण की दूरी के सीधे आनुपातिक। इसके अलावा, कम तनाव या वितरण नेटवर्क पक्ष में बिजली की चोरी/चोरी के साथ-साथ सीधे दोहन, मीटर छेड़छाड़ के कारण वाणिज्यिक नुकसान होता है, जो डिस्कॉम को वित्तीय नुकसान में भी योगदान देता है। इस प्रकार, कुल नुकसान को ए. टी. एंड सी. नुकसान के रूप में नामित किया जाता है। 9. ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. द्वारा यह भी स्थापित किया गया है कि एच. टी. (उच्च तनाव या उच्च वोल्टेज) उपभोक्ता विभिन्न उच्च वोल्टेज स्तर पर ग्रिड से जुड़े औद्योगिक उपभोक्ता हैं और उपयोगिता के साथ-साथ अन्य स्रोतों से व्हीलिंग के माध्यम से ली गई बिजली का लाभ उठाते हैं, जिसे अब ओपन एक्सेस कहा जाता है।

10. सुधार अधिनियम, 1998 से पहले, व्हीलिंग शुल्क थे

संबंधित सरकारी आदेशों द्वारा शासित, उदाहरण के लिए, जी. ओ. एम. एस. एम. एस. एम. एस

(ये जनरेटर व्हीलिंग चार्ज बैचों में उत्तरदाता हैं)। इस तरह के उपहास के बाद, ग्रिड समर्थन की सेवा एक घटक बन गई जिसके लिए ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. को सी. पी. पी. के रूप में क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता थी।

ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ./डिस्कॉम द्वारा स्थापित और इसमें सरकारी खजाने के माध्यम से निवेश शामिल है। 13. ग्रिड समर्थन शुल्क सुधार अधिनियम से पहले सरकार के किसी भी सरकारी आदेश या प्रोत्साहन योजना द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं।

1998 , या उसके बाद। ग्रिड कोड ग्रिड समर्थन शुल्क लगाने का आधार है, जिसे ए. पी. ई. आर. सी. द्वारा 26.5.2001 पर अनुमोदित किया गया। ग्रिड समर्थन शुल्क लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है

अतिरिक्त सी. पी. पी. की स्थापना पर जो भी हो। अतिरिक्त सी. पी. पी. ग्रिड पर एक अतिरिक्त भार डालते हैं, और ग्रिड समर्थन के लिए संबंधित शुल्क का भुगतान किया जाता है। अतिरिक्त नए सी. पी. पी. स्थापित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उद्योग के विस्तार के मामले में, अतिरिक्त इकाइयों के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है क्योंकि अतिरिक्त सी. पी. पी. ग्रिड पर अतिरिक्त बोझ के बराबर होते हैं और जो आगे अतिरिक्त सेवा प्राप्त करते हैं।

ग्रिड से, इस प्रकार डिस्कॉम/थर्ड पार्टी जनरेटर से सभी प्रकार के आपूर्ति समझौतों को ध्यान में रखते हुए ग्रिड समर्थन शुल्क लगाया जाता है। ग्रिड एक कुशन/बड़े बफर के रूप में कार्य करता है जब सी. पी. पी. से उत्पादन लोड में अचानक आउटेज के कारण निष्क्रिय हो जाता है, जिससे सी. पी. पी. के मजबूर ट्रिपिंग को कम किया जाता है, और इस समर्थन को ग्रिड समर्थन के रूप में जाना जाता है और समानांतर में चलने वाले सी. पी. पी. को समानांतर ग्रिड समर्थन के साथ चलने के रूप में जाना जाता है।

14. आयोग ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से कहा कि ग्रिड समर्थन शुल्क सी. पी. पी. क्षमता और सी. एम. डी. के अंतर पर प्रचलित मांग शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से देय होगा। द. राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया गया समझौता खंड 9 और 10 में प्रदान किया गया है कि बोर्ड ग्रिड समर्थन तय कर सकता था

इन एच. टी. उपभोक्ताओं की सहमति के अनुसार एकतरफा शुल्क। हालाँकि, जब सुधार अधिनियम, 1998 अस्तित्व में आया, तो ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ.

आयोग पर लागू उपभोक्ता हित और आपत्तियों को सुनने के बाद आयोग ने 8.2.2002 पर आदेश पारित किया है।

द हाई ट्रांसमिसन कार्पोरेशन। आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

अदालत ने आयोग द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है। इसलिए, अपीलों को ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. और ए. पी. ई. आर. सी. द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकासकर्ताओं और गैस आधारित विकासकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई। ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. के पास 2005 तक थोक आपूर्ति लाइसेंस था, और उसके बाद, ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. थोक आपूर्तिकर्ता बन गए। ए. पी. ई. आर. सी. ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए और अपीलें की गईं: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 111 के तहत ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष प्राथमिकता दी गई। यह मुद्दा सीमित है कि क्या 18.11.1997 और 22.12.1998 के सरकारी आदेशों के अनुसार प्रोत्साहन को स्थायी रूप से जारी रखा जाए, या

आयोग उनकी समीक्षा कर सकता था।

16. ए. पी. ई. आर. सी. का गठन सुधार अधिनियम, 1998 के तहत किया गया था।

और बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 82 के प्रावधान के तहत राज्य नियामक आयोग के रूप में माना जाने लगा। राज्य आयोग के कार्य विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में प्रदान किए गए हैं। उनमें से एक अधिनियम की धारा 62 के साथ पठित बिजली के अंतर-राज्य संचरण और पहियों की सुविधा प्रदान करना है, जो अन्य बातों के साथ यह प्रावधान करता है कि उपयुक्त आयोग शुल्क निर्धारित करेगा।

संचरण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 62 (1) (बी) के तहत बिजली और धारा 62 (1) (सी) के तहत बिजली की व्हीलिंग।

17. अपीलों के पहले समूह में, ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. द्वारा यह बताया गया है कि जनरेटर की छह श्रेणियां हैं।

(क) पहली श्रेणी में, आठ जनरेटरों ने सुधार अधिनियम, 1998 से पहले पूर्व-मौजूदा समझौते किए हैं क्योंकि एपीईआरसी अस्तित्व में नहीं था, और इनमें

समझौतों, शुल्क निर्धारण प्रदान करने वाला कोई खंड नहीं था

एपीईआरसी द्वारा।

(ख) 2 से 5 श्रेणियां उन उत्पादकों की हैं जिनके पास या तो सुधार अधिनियम, 1998 के बाद के समझौते हैं या उनके समझौतों को सुधार अधिनियम, 1998 के संदर्भ में संशोधित और पुनर्निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, वे निर्विवाद रूप से सुधार अधिनियम, 1998 और शुल्क निर्धारण द्वारा शासित हैं।

इसके अनुरूप है।

(ग) अंतिम श्रेणी वे हैं जिनका एपीएसईबी के साथ व्हीलिंग शुल्क का कोई समझौता नहीं है क्योंकि

वे जनरेटर/डेवलपर्स के अनुसूचित उपभोक्ता हैं, जिनमें से प्रत्येक के साथ एच. टी. आपूर्ति समझौता है।

एपीएसईबी। जनरेटर/डेवलपर या तो गैस आधारित, कोक आधारित, लघु पनबिजली संयंत्र, गैर-बिजली संयंत्र हैं। पारंपरिक पौधे।

18. सरकारी आदेश एम. एस. No.116 दिनांक 5.8.1995, व्हीलिंग शुल्क के निर्धारण से संबंधित है। उक्त द्वारा अनुमति दी गई थी

एक लघु-विद्युत संयंत्र स्थापित करने का सरकारी आदेश। खंड 4 में प्रावधान किया गया है कि मूल्य निर्धारण व्यवस्था अंततः नियामक आयोग द्वारा शुल्क के निर्धारण के अधीन है। खंड 5 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी शुल्क या कर जो सरकार या राज्य द्वारा लगाया जा सकता है

विद्युत बोर्ड इस योजना पर स्वतः ही आवेदन कर देगा। खंड 8 के अनुसार, यह योजना विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के ढांचे के भीतर काम करेगी। ने कहा कि

सरकारी आदेश दिनांक 5.8.1995 को सरकारी आदेश MS नंबर 152 दिनांक 29.11.1995 के माध्यम से संशोधित किया गया था। सरकारी आदेश दिनांक 29.11.1995 के पैरा 4 में प्रावधान किया गया है कि व्हीलिंग शुल्क डेवलपर्स से प्रकार में और इंटरकनेक्शन पॉइंट पर वितरित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में एकत्र किया जा सकता है। व्हीलिंग शुल्क की प्रस्तावित दरों को भी निर्दिष्ट किया गया था।

19. सरकारी आदेश एमएस No.93 दिनांकित 18.11.1997, निपटाया गया

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए व्हीलिंग चार्ज के साथ। सरकार ने सभी परियोजनाओं के लिए समान प्रोत्साहन की अनुमति दी ऊर्जा का नवीकरण स्रोत। पवन, बायोमास, सह-उत्पादन, नगरपालिका अपशिष्ट और लघु पनबिजली।

20. 22.12.1998 पर, सरकार ने आदेश MS No.93 में संशोधन किया

दिनांकित 18.11.1997। यह निर्णय लिया गया कि प्रोत्साहन योजना पर 3 साल तक नजर रखी जाएगी और उसके बाद राज्य विद्युत बोर्ड प्रोत्साहनों को जारी रखने के संबंध में उपयुक्त प्रस्ताव लाएगा।

21. आयोग, पहियों के शुल्क का निर्धारण करते हुए,

नेटवर्क शुल्क और संचरण हानि के मूल्यांकन और पोस्ट में समझौते में शामिल विभिन्न अन्य कारकों पर विचार किया गया

सुधार अधिनियम, 1998 और पूर्व-सुधार अधिनियम, 1998 परिदृश्य। उच्च न्यायालय ने कहा है कि सुधार अधिनियम, 1998 के तहत गठित राज्य आयोग के पास उत्पादक कंपनियों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को अपने उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए शुल्क लगाने की कोई शक्ति नहीं है।

इसमें ट्रांसमिसन कार्पोरेशन भी है। आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सुधार अधिनियम, 1998 के तहत, सुधार अधिनियम, 1998 के तहत आयोग की शक्तियां सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले न्यायिक कार्य की तरह हैं, लेकिन विधायी नहीं। उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि चक्कर लगाने के आरोप अतार्किक, अतार्किक हैं और गंभीर दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं। यह भी माना गया है कि समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद, अकेले सरकार व्हीलिंग शुल्क तय करने में सक्षम है क्योंकि यह नीतिगत दिशा के दायरे में है। राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किए गए समझौते वैधानिक समझौते हैं और वे बाध्यकारी हैं। आयोग के पास सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 26 के तहत शुल्क तय करने की आड़ में व्हीलिंग शुल्क को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। व्हीलिंग शुल्क नीतिगत मामला है और इसे तय करना आयोग का काम नहीं है। व्हीलिंग शुल्क सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 26 के तहत नहीं आता है। ऊर्जा की बिक्री के लिए शुल्क की तरह व्हीलिंग शुल्क को संशोधित करना उचित नहीं है। द.

राज्य सरकार के साथ-साथ राज्य विद्युत बोर्ड भी वादा रोकने के सिद्धांतों से बंधे हैं। ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. और डी. आई. एस. सी. ओ. एम. द्वारा दायर संयुक्त आवेदन विचारणीय नहीं था। कोई भी बदलाव

या प्रभावित व्यक्तियों को सुनने के उचित अवसर के बाद संशोधन किया जा सकता है। चूंकि सरकारी कंपनियां राज्य के किसानों को सब्सिडी दे रही थीं, इसलिए व्हीलिंग शुल्क लगाना उचित नहीं था।

इन आरईः कार्यकाल समाप्त करने के लिए आवेदन की प्रतिस्पर्धा पहियों के शुल्क

22. विचार के लिए पहला सवाल सुधार अधिनियम, 1998 के तहत व्हीलिंग शुल्क लगाने के लिए ए. पी. ई. आर. सी. की क्षमता है।

23. विद्युत नियामक आयोग के गठन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सुधार अधिनियम, 1998 लागू किया गया है।

बिजली उद्योग का पुनर्गठन, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए बिजली के अवसरों के उत्पादन, पारेषण, वितरण और आपूर्ति को तर्कसंगत बनाना, बिजली उद्योग के विकास और प्रबंधन के लिए कुशल, आर्थिक और प्रतिस्पर्धी तरीके से और उससे जुड़े मामलों के लिए अनुकूल उपाय करना।

और इसके लिए प्रासंगिक। धारा 2 (ए) "संचरण क्षेत्र" को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

" 2. (क) "पारेषण क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर पारेषण अनुज्ञप्ति धारक निर्धारित शर्तों के अनुसार ऊर्जा संचारण के लिए अनुज्ञप्ति द्वारा कुछ समय के लिए प्राधिकृत है;

" पारेषण लाइसेंस को धारा 2 (ओ) के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 2 (डी) में परिभाषित लाइसेंस का अर्थ है [2019] 17 एस. सी. आर. के तहत दिया गया लाइसेंस।

धारा 15. धारा 2 (पी) के तहत "संचारण" की परिभाषा दी गई है। धारा 2 (डी) और 2 (पी) को नीचे निकाला गया हैः

" 2. ((घ) "अनुज्ञप्ति" से अनुच्छेद 15 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है।

यह अधिनियम; "

2. (पी) बिजली के संबंध में "संचारित", का अर्थ है

एक लाइसेंसधारी द्वारा संचालित या नियंत्रित प्रणाली के माध्यम से बिजली का परिवहन या संचरण जिसमें पूरी तरह से या मुख्य रूप से अतिरिक्त उच्च वोल्टेज और अतिरिक्त उच्च तनाव लाइनें और विद्युत संयंत्र शामिल हैं और जिसका उपयोग बिजली उत्पादन केंद्र से उप केंद्र में, एक उत्पादन केंद्र से दूसरे में या एक उप केंद्र से दूसरे में या अन्यथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली को बदलने और/या स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

ए. पी. ई. आर. सी. का गठन धारा 3 के तहत किया गया है। धारा 5 आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति की शर्तों से संबंधित है। के रूप में

धारा 5 (3) (ए) के अनुसार, जिन व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए माना जाता है, उन्हें बिजली उत्पादन के लिए किसी भी ईंधन के उत्पादन, संचरण, वितरण या आपूर्ति, निर्माण, बिक्री या आपूर्ति और उसमें निर्दिष्ट अन्य मामलों का अनुभव होना चाहिए। द. आयोग की कार्यवाहियों, शक्तियों और कार्यों के बारे में अधिनियम के भाग-III में बताया गया है। धारा 10 की शक्तियों से संबंधित है

सी. पी. सी. के तहत दीवानी न्यायालय मामलों के संबंध में एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए धारा 10 (1) और धारा 10 के अन्य प्रावधानों में विनिर्दिष्ट। धारा 11 आयोग के कार्यों से संबंधित है। धारा 11 (1) के प्रावधान समावेशी हैं और धारा 11 की उप-धारा 1 के खंड (ए) से खंड (1) में कुछ कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैंः

" 11. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, आयोग अन्य कार्यों के अलावा निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होगाः

कार्य, अर्थात्ः

(क) बिजली से संबंधित मामलों में सहायता और सलाह देना।

उत्पादन, संचरण, वितरण और आपूर्ति

राज्य;

(बी) लाइसेंसधारियों के कामकाज को विनियमित करना और उपभोक्ताओं को सेवाओं के संबंध में लाइसेंसधारियों के लिए प्रदर्शन के मानकों को निर्धारित करने सहित एक कुशल, किफायती और न्यायसंगत तरीके से उनके काम को बढ़ावा देना; आईएसआईओएन कॉर्प।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

बिजली की खरीद, वितरण, आपूर्ति और उपयोग, सेवा की गुणवत्ता, शुल्क और देय शुल्क दोनों को उपभोक्ता के हित के साथ-साथ इस विचार को ध्यान में रखते हुए विनियमित करना कि आपूर्ति और वितरण को तब तक बनाए नहीं रखा जा सकता जब तक कि आपूर्ति की गई बिजली के लिए शुल्क पर्याप्त रूप से लगाया और विधिवत एकत्र नहीं किया जाता है। प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और उत्तरोत्तर शामिल करना

ग्राहकों के लिए उचित सौदा सुनिश्चित करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी;

बिजली की मांग और उपयोग पर डेटा और पूर्वानुमान एकत्र करना और लाइसेंसधारियों से इस तरह के डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है

डेटा और पूर्वानुमान;

अनुज्ञप्तिधारियों के बीच खातों की एक समान प्रणाली निर्धारित करना; लाइसेंसधारियों के कामकाज को विनियमित करना और कुशल किफायती और न्यायसंगत तरीके से उनके काम को बढ़ावा देना।

और सभी आनुषंगिक या सहायक कार्यों को करने के लिए।

(जोर दिया गया)

24. सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 12 नीति जारी करने की शक्ति के संबंध में राज्य सरकार के सामान्य लोगों से संबंधित है।

समग्र सहित राज्य की बिजली से संबंधित मामलों पर विचार

समन्वय और समन्वय। धारा 12 यहाँ नीचे निकाली गई है:

" 12. (1) राज्य सरकार के पास समग्र योजना और समन्वय सहित राज्य में बिजली से संबंधित मामलों पर नीतिगत निर्देश जारी करने की शक्ति होगी। सभी नीतियाँ राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुरूप निर्देश जारी किए जाएंगे और तदनुसार कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव या हस्तक्षेप नहीं करेंगे और

आयोग की शक्तियाँ जिनमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं -

बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क की संरचना का निर्धारण

विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए:

(2) यदि आयोग और राज्य के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है

सरकार इस बारे में कि क्या कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं या क्या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई नीतिगत निर्देश कार्यों के अभ्यास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या हस्तक्षेप करता है। आयोग द्वारा, इसे राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श, जिसका उस पर निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(3) राज्य सरकार शुल्क संरचना को विनियमित और अनुमोदित करते समय किसी भी वर्ग या व्यक्तियों के वर्गों को बिजली की आपूर्ति के लिए या आयोग द्वारा अनुमत सब्सिडी के अलावा किसी भी क्षेत्र के संबंध में सब्सिडी के संबंध में नीतिगत निर्देश जारी करने की हकदार होगी, बशर्ते कि राज्य सरकार क्षतिपूर्ति के लिए राशि का योगदान करेगी।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी की सीमा तक सब्सिडी के अनुदान से प्रभावित ऐसा संबंधित निकाय या इकाई। आयोग उन राशियों और नियमों और शर्तों और समय सीमा का निर्धारण करेगा जिन पर ऐसी राशियां निर्धारित की जाती हैं।

राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाना।

(4) राज्य सरकार इस संबंध में आयोग से परामर्श करेगी।

किसी नीति से संबंधित किसी प्रस्तावित विधान या नियमों के लिए निर्देश दें और सिफारिश को विधिवत ध्यान में रखें

आयोग द्वारा ऐसे सभी मामलों पर। परिवहन निगम।

25. ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. के संविधान और कार्य प्रदान किए गए हैं।

धारा 13 में। बिजली की आवश्यकताओं को निर्धारित करना ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. का प्राथमिक कार्य है। ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. अतिरिक्त उच्च वोल्टेज संचरण प्रणाली का मालिक होगा। प्रसारण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

और धारा 14 के अनुसार आपूर्ति करें। आयोग द्वारा लाइसेंस प्रदान करने के बारे में धारा 15 में बताया गया है। अनुज्ञप्तिधारी पारेषण के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में बिजली संचारित कर सकता है और आपूर्ति के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति कर सकता है। जिसमें लाइसेंसधारियों या किसी भी व्यक्ति को थोक आपूर्ति शामिल है। सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 15 (1) नीचे दी गई हैः

" 15. (1) आयोग ऐसे प्रपत्र में किए गए आवेदन पर और ऐसे शुल्क के भुगतान पर, जो निर्धारित किया जाए, अनुदान दे सकता है।

किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाला लाइसेंस,

(क) पारेषण के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में बिजली का संचारण;

या

(बी) आपूर्ति के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सहित

लाइसेंसधारियों या किसी भी व्यक्ति को थोक आपूर्ति। ”

26. राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन पर सुधार अधिनियम, 1998 के भाग VII में चर्चा की गई है। धारा 26 अनुज्ञप्तिधारक से संबंधित है।

राजस्व और शुल्क। धारा 26 (1) में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत प्रत्येक लाइसेंस को अपेक्षित राजस्व की गणना में समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

शुल्क जो उसे अपने लाइसेंस की शर्तों के अनुसार और उन राजस्वों को एकत्र करने के लिए शुल्क तैयार करने में वसूल करने की अनुमति है। धारा 26 (2) (ए) के अनुसार, आयोग उक्त अधिनियम की धारा 57 और 57-ए के साथ पठित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की छठी अनुसूची में प्रदान किए गए मापदंडों से बाध्य होगा और उप-धारा 26 (2) (बी) और धारा 26 (2) (सी) में उल्लिखित विभिन्न कारकों पर विचार करेगा। यदि यह निर्दिष्ट से अलग हो जाता है

बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की छठी अनुसूची के मापदंडों में, लाइसेंसधारियों के राजस्व और शुल्क का निर्धारण करते समय, यह लिखित रूप में उनके कारणों को दर्ज करेगा। धारा 26 यहाँ नीचे निकाली गई हैः

" 26. (1) इस अधिनियम के तहत दिए गए प्रत्येक लाइसेंस के धारक

द्वारा निर्दिष्ट पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन करें

शुल्कों से अपेक्षित राजस्व की गणना में समय-समय पर आयोग जिसे इसके अनुसार वसूल करने की अनुमति है

इसके लाइसेंस की शर्तें और उन्हें एकत्र करने के लिए शुल्क तैयार करने में

राजस्व।

(2) आयोग उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए विनियमों द्वारा लाइसेंसधारी के राजस्व और शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने का हकदार होगा।

आधिकारिक राजपत्र में और इस तरह के अन्य तरीके से विधिवत प्रकाशित जो आयोग उचित समझता हैः

बशर्ते कि ऐसा करने में आयोग निम्नलिखित मापदंडों से बाध्य होगाः —

(क) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम की छठी अनुसूची में प्रदान किए गए वित्तीय सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग,

1948 उक्त अधिनियम की धारा 57 और 57-ए के साथ पढ़ें;

(ख) वे कारक जो दक्षता, संसाधनों के आर्थिक उपयोग, अच्छा प्रदर्शन, लाइसेंस शर्तों के इष्टतम निवेश प्रदर्शन और अन्य मामलों को प्रोत्साहित करेंगे जिन्हें आयोग मुख्य उद्देश्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित समझता है।

इस अधिनियम के प्रावधान; और

((ग) उपभोक्ता का हित।

लाइसेंसधारियों के राजस्व और शुल्क का निर्धारण करते हुए, यह लिखित रूप में इसके कारणों को दर्ज करेगाः (4) उपर्युक्त उप-धारा (1), (2) और (3) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट कोई भी कार्यप्रणाली या प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए होगी कि अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को विधिवत प्राप्त किया जाए।

(5) प्रत्येक लाइसेंसधारी आयोग को आगामी वित्तीय वर्ष से कम से कम 3 महीने पहले आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में उसके लिए अपनी गणना का पूरा विवरण प्रदान करेगा।

शुल्कों से अपेक्षित कुल राजस्व का वित्तीय वर्ष जिसे वह मानता है कि उसे शर्तों के अनुसार वसूली करने की अनुमति है।

अपने अनुज्ञप्ति का और उसके बाद वह आगे इस प्रकार प्रस्तुत करेगा आयोग को उचित रूप से मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी

अनुज्ञप्तिधारी की गणना। उस तारीख के 90 दिनों के भीतर जिस दिन लाइसेंसधारी ने आयोग को आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत की है, आयोग लाइसेंसधारी को या तो अधिसूचित करेगा -

(क) कि यह लाइसेंसधारी के शुल्क प्रस्तावों को स्वीकार करता है और

राजस्व गणना; या राजस्व निगम।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

(ख) कि वह लाइसेंसधारी के शुल्क प्रस्तावों और राजस्व गणनाओं को अपने लाइसेंस और ऐसी सूचना में कार्यप्रणाली या प्रक्रिया के अनुसार नहीं मानता है।

अनुज्ञप्तिधारक को,

(1) आयोग के कारणों को पूरी तरह से निर्दिष्ट करें

यह मानते हुए कि लाइसेंसधारी की गणना कार्यप्रणाली या प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती है
अपने लाइसेंस में निर्दिष्ट है या किसी भी तरह से गलत है,

और

((ii) एक संशोधन या एक वैकल्पिक गणना का प्रस्ताव करें।

प्रभारों से अपेक्षित राजस्व, जो

लाइसेंसधारी स्वीकार करेगा।

(6) आपूर्ति लाइसेंस के प्रत्येक धारक को आपूर्ति के क्षेत्र में प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करना होगा और

अपने लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के भीतर बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क या शुल्क के अनुरोध पर जनता के लिए उपलब्ध है और ऐसा शुल्क या शुल्क उस तारीख से सात दिनों के बाद ही प्रभावी होगा।

प्रकाशन। (7) इस धारा के तहत लागू कोई शुल्क, -

(क) बिजली के किसी भी उपभोक्ता के लिए अनुचित वरीयता नहीं दिखाएगा, लेकिन उपभोक्ता के भार कारक या बिजली कारक, किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान उपभोक्ता की ऊर्जा की कुल खपत, या जिस समय आपूर्ति की आवश्यकता होती है, या उपभोक्ताओं की श्रेणी की भुगतान क्षमता और क्रॉस की आवश्यकता के अनुसार अंतर कर सकता है।

अनुदान;

((ख) न्यायसंगत और उचित होगा और ऐसा होगा जिससे उसे बढ़ावा मिले।

बिजली की आपूर्ति और खपत में आर्थिक दक्षता; और

(ग) इस अधिनियम के अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों को पूरा करेगा और

संबंधित अनुज्ञप्ति की शर्तें।

(8) आयोग इस तरह से शुल्क निर्धारित करने का भी प्रयास करेगा कि जहां तक संभव हो, विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से रखे गए उपभोक्ता समान शुल्क का भुगतान करें।

(9) उप-धारा (6) द्वारा अपेक्षित किसी भी शुल्क या किसी भी शुल्क के हिस्से को किसी भी वित्तीय वर्ष [2019] में एक से अधिक बार संशोधित नहीं किया जा सकता है।

उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार, यह उन सभी सूचनाओं की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर, जिनकी उसे आवश्यकता है, और आयोग सलाहकार समिति और लाइसेंसधारी के साथ परामर्श करने के बाद, लाइसेंसधारी को सूचित करेगा कि प्रस्तावित शुल्क या संशोधित शुल्क आयोग के लिए अस्वीकार्य है, और यह लाइसेंसधारी को एक वैकल्पिक शुल्क या संशोधित शुल्क प्रदान करेगा जिसे लाइसेंसधारी द्वारा लागू किया जाएगा। जब तक आयोग द्वारा संशोधन को मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक लाइसेंसधारी किसी भी शुल्क में संशोधन नहीं करेगा। (10) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 57-ए और 57 बी में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम की तारीख के बाद कोई मूल्यांकन समिति का गठन नहीं किया जाएगा और

आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंसधारक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिजली (थोक और खुदरा दोनों) की बिक्री और अपनी संपत्तियों या प्रणालियों के कनेक्शन और उपयोग के लिए अपने शुल्क के संबंध में अपने लाइसेंस के प्रावधानों का पालन करें।

व्याख्याः

लाइसेंस प्राप्त गतिविधि के अनुसार ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं; और (ख) "शुल्क" से निर्दिष्ट सेवाओं के लिए मानक मूल्यों या शुल्कों की एक अनुसूची अभिप्रेत है जो ऐसे सभी निर्दिष्ट सेवाओं पर लागू होती है।

शुल्क अधिसूचना में निर्दिष्ट ग्राहकों के प्रकार या प्रकार को प्रदान की जाने वाली सेवाएं। परिवहन निगम।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

धारा 26 से जुड़ा स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि प्रशुल्क का अर्थ निर्दिष्ट सेवाओं के लिए मानक मूल्यों या शुल्कों की एक अनुसूची है जो -

प्रकार या प्रकार को प्रदान की जाने वाली ऐसी सभी निर्दिष्ट सेवाओं पर लागू शुल्क अधिसूचना में निर्दिष्ट ग्राहकों की संख्या।

27. अपीलार्थियों-ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ., आयोग की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि संचरण सुधार अधिनियम, 1998 के तहत विनियमित है। उच्च न्यायालय का निर्णय धारा 11 और 13 और सुधार अधिनियम, 1998 के अन्य प्रावधानों में निहित प्रावधानों के विपरीत है। आयोग के पास शुल्क निर्धारित करने की शक्ति है। सुधार अधिनियम, 1998 के तहत, कुछ शक्तियां न्यायनिर्णायक और जांच का संयोजन हैं, और कुछ विधायी हैं।

28. शुल्क निर्धारण आम तौर पर एक विधायी कार्य है जैसा कि अशोक साबुन कारखाना बनाम में आयोजित किया गया है। दिल्ली नगर निगम, (1993) 2 एस. सी. सी. 37 इस प्रकार हैः

" 29. इसके अलावा शुल्क का निर्धारण एक विधायी कार्य है और इस तरह के शुल्क के निर्धारण के लिए एकमात्र चुनौती इस पर हो सकती है

अनुचितता या मनमानेपन के आधार पर नहीं

इस अर्थ में प्रदर्शनात्मक आधार कि आरोप लगाने के कारणों का खुलासा शुल्क लगाने के आदेश में किया जाना चाहिए या अदालत को खुलासा किया जाना चाहिए, जब तक कि यह वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित हो।

विधायी कार्य के रूप में शुल्क निर्धारण के संबंध में इस न्यायालय के निर्णयों के लिए पवन मिश्र धातु और धातु अधिनियम में भी संदर्भ दिया गया है।

कास्टिंग प्रा. लिमिटेड, मेरठ बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, (1997) 7 एस. सी. सी. 251, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम। एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात, (1990) सप. एस. सी. सी. 397, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (1984) सप. एससीसी 161।

29. आयोग एक नियामक की शक्तियों का प्रयोग करता है। इस न्यायालय ने विभिन्न क्षेत्रों में नियामक शक्ति की अवधारणा पर विचार किया है।

निर्णय, अर्थात्, के. रामनाथन बनाम। तमिलनाडु राज्य, ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 660 = (1985) 2 एस. सी. सी. 116; वी. एस. राइस एंड ऑयल मिल्स बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1781; दीपक थिएटर, धूरी बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1519 और डी. के. त्रिवेदी एंड संस बनाम गुजरात राज्य, ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 1323 इस न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित निर्णयों में यह भी अभिनिर्धारित किया है कि विनियामक शक्तियां व्यापक हैं, और इनमें उन उद्देश्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, वे शामिल हैं। अधिनियम।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पारेषण और वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली के रखरखाव, संचालन, उन्नयन और संचरण में लागत शामिल है और

नेटवर्क, जिसके लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। संचरण के दौरान नुकसान होता है, जिसका हिसाब रखना पड़ता है, और संक्रमण नुकसान प्रणाली का नुकसान है और इसे उत्तरदाताओं को वहन करना पड़ता है। 31. जबकि, प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि 1998 से पहले अनुबंध के ड्रॉ के मामले में, ए. पी. ई. आर. सी. उस तरह से नहीं जा सकता था जैसा उसने किया था।

उन मामलों में अधिकार क्षेत्र नहीं है। अन्यथा भी, जहां सुधार अधिनियम, 1998 के बाद समझौतों में संशोधन या प्रवेश किया गया है, आयोग के पास व्हीलिंग शुल्क तय करने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि यह सुधार अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है।

32. लाइसेंसधारियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 (1) के प्रावधान में राज्य आयोग का प्रावधान है।

इस प्रकारः

अधिसूचना, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गठित, राज्य के लिए एक आयोग जिसे (राज्य का नाम) विद्युत नियामक आयोग के रूप में जाना जाएगाः बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा धारा 17 के तहत स्थापित राज्य विद्युत नियामक आयोग

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14) और अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियम और नियत तिथि से तुरंत पहले इस तरह से कार्य करना राज्य का दायित्व होगा।

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयोग और इसके अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अधिकारी और अन्य कर्मचारी समान नियमों और शर्तों पर पद पर बने रहेंगे।

जिन पर उन्हें उन अधिनियमों के तहत नियुक्त किया गया थाः

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14) के तहत या अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत नियुक्त राज्य आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को, धारा 85 की उप-धारा (1) के तहत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, संबंधित राज्य द्वारा इस अधिनियम के तहत नियमों और शर्तों का विकल्प चुनने की अनुमति दी जा सकती है।

सरकार "। परिवहन निगम। आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के बल पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य आयोग की कार्रवाई, जैसा कि विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (संक्षेप में, "केंद्रीय अधिनियम") के तहत अधिसूचित की गई है, इस हद तक बचाई जाएगी कि वे बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। चूंकि ए. पी. ई. आर. सी. केंद्रीय अधिनियम के तहत राज्य आयोग नहीं है, इसलिए इसे व्हीलिंग शुल्क लगाने का अधिकार क्षेत्र नहीं माना जा सकता है। यह राज्य आयोग है जो

बिजली अधिनियम, 2003 के तहत प्रासंगिक प्राधिकरण है। अनुभाग 22 (1) (ख) केंद्रीय अधिनियम की धारा, विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि राज्य आयोग

धारा 29 में दिए गए तरीके से पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए देय शुल्क निर्धारित करना आवश्यक है। धारा 29 (2) की अपेक्षा है कि राज्य आयोग विनियम द्वारा शर्तों का निर्धारण करेगा और

शुल्क के निर्धारण के लिए शर्तें। इस प्रकार, इस पहलू पर जोर दिया गया है कि ए. पी. ई. आर. सी. का आदेश केंद्रीय अधिनियम के अनुसार आवश्यक विनियमन के बराबर नहीं है। ए. पी. ई. आर. सी. के पास व्हीलिंग शुल्क लगाने का अधिकार क्षेत्र नहीं था और किसी भी स्थिति में, विनियमन के अभाव में आदेश पारित करने के माध्यम से नहीं। ए. पी. ई. आर. सी. ने वितरण की लागत के साथ जनरेटरों को जोड़ने में गलती की है क्योंकि अनुसूचित उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने वाले जनरेटर इसका उपयोग नहीं करते हैं।

वितरण नेटवर्क। इसलिए, इस बात पर पूर्वाग्रह के बिना कि समझौते के तहत पहियों के शुल्क को बाधित नहीं किया जा सकता है, पहियों के शुल्क का निर्धारण बिजली द्वारा पहियों द्वारा किया जाता है। अपने अनुसूचित उपभोक्ताओं को पारेषण के लिए बिजली के जनरेटर केवल पारेषण शुल्क पर आधारित होने चाहिए। 28. 4 प्रतिशत प्रणाली हानि में से संचरण हानि भी 8 प्रतिशत है, शेष वितरण हानि है। सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 11 (ई) में "पीढ़ी" और "संचरण" शब्द स्पष्ट रूप से गायब हैं। जबकि विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 22 (1) (बी) केंद्रीय अधिनियम के तहत गठित किए जाने वाले राज्य आयोग द्वारा पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए देय शुल्क के निर्धारण के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है। सुधार अधिनियम, 1998 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

33. केंद्रीय अधिनियम के तहत लाइसेंसधारियों के अनुसार, राज्य आयोग के पास पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए देय शुल्क निर्धारित करने की शक्ति निहित है। रिलायंस को पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम पर रखा गया है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, (2010) 4 एस. सी. सी. 603, जिसमें इस न्यायालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत शुल्क निर्धारण के संदर्भ में निर्धारित किया है, कि केवल उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम ही मौजूदा [2019] 17 एस. सी. आर. को ओवरराइड कर सकते हैं।

संविदात्मक संबंध, जो केवल आयोग के आदेश के आधार पर नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि आज तक सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 54 (के) के तहत आवश्यक कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, हालांकि अनुसूची V ने 1948 के अधिनियम की धारा 43 के तहत व्हीलिंग शुल्क के निर्धारण के मानदंड प्रदान किए हैं।

सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 56 (iii) (vi) के अनुसार लागू नहीं किया गया है। सामान्य या विशेष क्रम के मार्गदर्शक सिद्धांत अनुपस्थित हैं। सुधार अधिनियम, 1998 में। सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 15 (5) के साथ पठित धारा 15 (4) (ए) के तहत, शुल्क का निर्धारण पारस्परिक समझौते द्वारा किया जाना चाहिए, न कि शुल्क आदेश के माध्यम से। निष्कर्ष निकाला गया

समझौतों में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "प्रवेश करें" को शामिल नहीं किया जा सकता है। सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 24 (4)।

34. हमारी राय में, सुधार अधिनियम, 1998 के तहत गठित आयोग के पास व्हीलिंग शुल्क निर्धारित करने की शक्ति है। हम हैं।

उत्तरदाताओं-कंपनियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए निवेदन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। सुधार अधिनियम, 1998 के तहत गठित राज्य आयोग के पास संचरण से निपटने की शक्ति है। अभिव्यक्ति "संचरण का क्षेत्र" को परिभाषित किया गया है धारा 2 (ए) के तहत। आयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बारे में धारा 15 में बताया गया है। "अनुज्ञप्तिधारी" या "अनुज्ञप्ति धारक" वह व्यक्ति है जिसके पास धारा 14 के तहत ऊर्जा संचारित करने या आपूर्ति करने का अनुज्ञप्ति है, जिसमें धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. भी शामिल है। पारेषण अनुज्ञप्ति का अर्थ है धारा 15 (1) (ए) के तहत दिया गया अनुज्ञप्ति और धारा 2 (पी) में "प्रेषण" को भी परिभाषित किया गया है। आयोग ने व्यापक

और संचरण से निपटने के लिए व्यापक शक्ति।

35. सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 11 आयोग के कार्यों से संबंधित है। धारा 11 (1) (ए) के तहत आयोग बिजली उत्पादन, पारेषण से संबंधित मामलों में सहायता और सलाह देगा।

राज्य में वितरण और आपूर्ति। धारा 11 (1) (बी) को अधिकार देता है

लाइसेंसधारियों के कामकाज को विनियमित करने और कुशल, किफायती और न्यायसंगत तरीके से उनके काम को बढ़ावा देने के लिए आयोग। इस प्रकार, इसे लाइसेंसधारियों पर काम करने के मामले में एक नियामक के रूप में कार्य करना होगा।

आयोग के पास धारा 11 (1) (सी) के तहत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस जारी करने की शक्ति है। धारा 11 (1) (डी) आयोग को बिजली के उपयोग में दक्षता, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को बढ़ावा देने का भी अधिकार देती है। धारा 11 (1) (ई) के तहत, आयोग के पास बिजली की खरीद, वितरण, आपूर्ति और उपयोग, सेवा की गुणवत्ता, शुल्क और देय शुल्क को विनियमित करने की शक्ति है। व्हीलिंग शुल्क शुल्क का हिस्सा हैं, और धारा 11 ट्रांसमिसन कॉर्प के प्रावधान हैं।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

ये समावेशी हैं और मुख्य रूप से उत्पादन, संचरण और वितरण से संबंधित हैं। इन तीन प्रक्रियाओं से पता चलता है कि धारा 11 में व्हीलिंग शुल्क तय करने की शक्ति शामिल है।

बिजली का उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति और उपयोग। संचरण के बिना वितरण संभव नहीं है। धारा 13 ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. और उससे जुड़े कार्यों से संबंधित है। का लाइसेंस धारा 14 में बिजली के संचारण और आपूर्ति के बारे में बताया गया है। इसमें प्रावधान है कि बिजली अधिनियम, 1948 के तहत छूट दिए जाने तक लाइसेंस आवश्यक है।

और धारा 57 और 57-ए के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 1948 की छठी अनुसूची में प्रदान किए गए उनके आवेदन। इस प्रकार, लाइसेंसधारी को वार्षिक अपेक्षित कुल राजस्व की गणना प्रस्तुत करनी होती है, और आयोग के पास लाइसेंसधारियों के लिए शुल्क तय करने की शक्ति है जिसमें संचरण के लिए लाइसेंस भी शामिल होगा। आयोग को व्हीलिंग शुल्क तय करते समय, आदेश में निर्दिष्ट किए गए तय किए गए सिद्धांतों पर और धारा 11,15 और 26 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करना होगा।

37. 'शुल्क' का अर्थ है वह राशि जो अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी वित्तीय वर्ष में अपने शुल्क से वसूल करने की अनुमति है, जैसा कि द्वारा निर्धारित किया गया है -

धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार आयोग। अनुज्ञप्ति के संदर्भ में, 'शुल्क' के बारे में खंड 22.3 में निम्नानुसार बताया गया हैः -

" क) अनुज्ञप्तिधारक को किसी भी वित्तीय वर्ष में अपने शुल्कों से जो राशि वसूल करने की अनुमति है, वह वह राशि है जो आयोग अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित करता है।

ख) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण और थोक आपूर्ति व्यवसाय के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क स्थापित करेगा और इस अनुज्ञप्ति, विनियमों, [2019] 17 एस. सी. आर. के अनुसार इसके शुल्कों की गणना करेगा।

आयोग के आदेश और समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यकताएँ।

ग) आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित को छोड़कर, लाइसेंसधारी इसके लिए एक संयुक्त शुल्क प्रकाशित कर सकता है।

पारेषण और थोक आपूर्ति व्यवसाय

प्रशुल्क शुल्क और अनुमोदित प्रशुल्कों में निहित अन्य नियम और शर्तें

पैराग्राफ 22.3 (बी)। ”

38. जहाँ तक व्हीलिंग शुल्क तय करने के सवाल का सवाल है, उच्च न्यायालय ने यह ठहराते हुए गलती की है कि आयोग के पास इसे तय करने का कोई अधिकार नहीं है

व्हीलिंग शुल्क। यह संचरण के लिए नियामक है, और ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि आयोग के पास व्हीलिंग शुल्क तय करने की शक्ति थी।

39. आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

(आयोग के कार्य नियम), विनियम, 1999 (संक्षेप में, "1999 विनियम"), प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं।

सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 9, उप-धारा 2 और धारा 54, उप-धारा (2) (ए) द्वारा और उनमें निम्नलिखित विनियमों द्वारा संशोधन किया गया है - 2000. ये विनियम शक्तियों और विभिन्न क्षमताओं के व्यापक दायरे को दर्शाते हैं।

शुल्क निर्धारण से संबंधित कार्य। विनियम 45-ए शुल्कों और प्रशुल्क प्रस्तावों से अपेक्षित राजस्व से संबंधित है। विनियम 45-बी

ईंधन अधिभार समायोजन सूत्र से संबंधित है। उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया कि आयोग व्हीलिंग शुल्क तय नहीं कर सकता है जब कोई विनियमन प्रचलित नहीं था। जो भी हो सकता है। यह खंड स्वयं इस तथ्य के अलावा दिशा-निर्देश प्रदान करता है कि विनियमन भी मौजूद है।

40. निष्कर्षित अनुबंध के संबंध में, इसे प्रस्तुत किया गया है

ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. की ओर से कहा गया कि अनुबंध का खंड 15 बाद की सरकारी कार्रवाइयों से संबंधित है। ऊर्जा के पहिये को संशोधित बिजली पहिये और खरीद के खंड 2 के तहत निपटाया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत के बीच समझौता हुआ 1998 से पहले बोर्ड और लाइसेंसधारी। खंड 2.4 के अनुसार, के लिए क्षतिपूर्ति

फर्म व्हीलिंग सर्विस के प्रावधान, बोर्ड का हकदार होगा

पहियों वाली ऊर्जा, लागू पहियों वाले शुल्क से कटौती करें, और शुल्क पहियों वाली ऊर्जा का 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत होगा। खंड 2.4 निम्नलिखित हैः

परिवहन निगम। आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

11 केवी के वोल्टेज पर। इस अनुच्छेद 2.4 के तहत देय व्हीलिंग शुल्क एकमात्र और अनन्य विचार होगा। फर्म व्हीलिंग के
प्रावधानों के लिए बोर्ड को देय

सेवा "।

बोर्ड और लाइसेंसधारी द्वारा वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संशोधित बिजली पहिये और खरीद समझौता किया गया था और आयोग के पास शुल्क और शुल्क तय करने की शक्ति है।

41. पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (उपरोक्त) ने माना है कि

विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत शुल्क निर्धारण अपने चरित्र में एक विधायी कार्य है। उक्त अधिनियम की धारा 178 अधीनस्थ विधान के अधिकार के तहत केंद्रीय आयोग द्वारा विनियमन बनाने से संबंधित है। यह धारा 79 (1) से अधिक व्यापक है, जिसमें निर्दिष्ट क्षेत्रों में केंद्रीय आयोग के नियामक कार्यों की गणना की गई है। धारा 178 के तहत एक विनियमन, नियामक ढांचे के एक हिस्से के रूप में, हस्तक्षेप करता है और यहां तक कि दोनों के बीच मौजूदा अनुबंधों को ओवरराइड करता है।

विनियमित निकाय क्योंकि यह विनियमित संस्थाओं पर अपने मौजूदा और भविष्य के अनुबंधों को उक्त विनियमन के साथ संरेखित करने के लिए एक वैधानिक दायित्व डालता है।

इस अदालत ने आगे कहा कि विनियमन के अभाव में, आयोग के पास शुल्क निर्धारित करने की शक्ति है। यह निर्भर नहीं है

विनियमन के निर्माण पर। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया हैः

" 25. 2003 के अधिनियम में आयोग द्वारा दोहरे कार्यों के निष्पादन के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। धारा 61 केंद्रीय आयोग द्वारा विनियमों को तैयार करने के लिए सक्षम प्रावधान है; शुल्क के नियमों और शर्तों का निर्धारण अधिनियम की धारा 61 के तहत नियामक आयोगों के अधिकार क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है, जबकि नियामक आयोगों द्वारा वास्तविक शुल्क निर्धारण [2019] 17 एस. सी. आर. की धारा 62 द्वारा कवर किया गया है।

एक्ट करें। यह पहलू वर्तमान मामले को तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करना है

26. "शुल्क" शब्द को 2003 के अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। "शुल्क" शब्द के दायरे में न केवल दरों का निर्धारण शामिल है, बल्कि इससे संबंधित नियम और विनियम भी शामिल हैं। यदि कोई 2003 के अधिनियम की धारा 62 के साथ धारा 61 को पढ़ता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त आयोग वास्तविक शुल्क निर्धारित करेगा। अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए, उन नियमों और शर्तों सहित जो उक्त अधिनियम की धारा 61 के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। 2003 के अधिनियम के तहत, यदि कोई धारा 62 को धारा 64 के साथ पढ़ता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हालांकि मूल्य निर्धारण जैसे शुल्क निर्धारण विधायी है, लेकिन अधिनियम के तहत इसे धारा 111 के तहत अपील योग्य बनाया गया है। ये

प्रावधान, अर्थात्, धारा 61,62 और 64, दोहरे को इंगित करते हैं विनियामक आयोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति। शुल्क निर्धारण के लिए निर्णय लेना और नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करना।

***

***

***

55. विनियमन एक ऐसी कवायद है जो विनियम बनाने से अलग है। हालांकि, धारा 178 के तहत एक विनियमन बनाना केंद्रीय आयोग के लिए धारा 79 (1) के तहत कोई कदम/उपाय करने की पूर्व शर्त नहीं है। जैसा कि कहा गया है, यदि कोई विनियमन है, तो धारा 79 (1) के तहत उपाय धारा 178 के तहत ऐसे विनियमन के अनुरूप होना चाहिए। यह सिद्धांत इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से आता है, जो हमारे पास हैं।

इसके बाद चर्चा की गई। उदाहरण के लिए, धारा 79 (1) (जी) के तहत, केंद्रीय आयोग को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुल्क लगाने की आवश्यकता है -

2003 का अधिनियम। धारा 178 के तहत विनियमन के अभाव में भी नियामक शुल्क लगाने का आदेश पारित किया जा सकता है। यदि शुल्क अनुचित है, तो यह धारा 111 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती का विषय हो सकता है क्योंकि शुल्क एक आदेश/निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। धारा 178 के तहत विनियमन बनाना आर. ए. एन. एस. एम. आई. एस. आई. एन. सी. ओ. आर. पी. को पारित करने की पूर्व शर्त नहीं है।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

धारा 79 (1) (छ) के अधीन विनियामक शुल्क लगाने वाला आदेश। हालाँकि, यदि उस संबंध में धारा 178 के तहत कोई विनियमन है, तो धारा 79 (1) (जी) के तहत शुल्क लगाने का आदेश ऐसे विनियमन के अनुरूप होना चाहिए।

***

***

***

केंद्रीय आयोग धारा 79 (1) (जे) के तहत जो भी उपाय करता है, वह धारा 178 के अनुरूप होना चाहिए। 58. अधिनियम की धारा 178 के तहत व्यापार मार्जिन को सीमित करने के मामले में एक विनियमन क्यों बनाया गया है, इसका कारण समझना चाहिए। एक व्यापारिक मार्जिन तय करने के बजाय (जिसमें शामिल हैं)

) मामले-दर-मामले के आधार पर, केंद्रीय आयोग ने एक ऐसा विनियमन बनाना उचित समझा जो 2003 के अधिनियम के तहत पहली बार मान्यता प्राप्त संपूर्ण व्यापारिक गतिविधि के लिए एक सामान्य अनुप्रयोग हो। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 178 के तहत एक विनियमन बनाना आवश्यक हो गया क्योंकि धारा 178 के तहत बनाए गए विनियमन का विनियमित संस्थाओं के बीच मौजूदा संविदात्मक संबंध में हस्तक्षेप करने और उसे खत्म करने का प्रभाव पड़ता है। धारा 178 के तहत एक विनियमन एक अधीनस्थ विधान की प्रकृति में है। इस तरह के अधीनस्थ कानून बिजली खरीद समझौतों सहित मौजूदा अनुबंधों को भी ओवरराइड कर सकते हैं जिनके साथ संरेखित किया जाना है।

धारा 178 के तहत विनियम और जो धारा 79 (1) (जे) के तहत केंद्रीय आयोग के एक आदेश द्वारा पूरे बोर्ड में नहीं किए जा सकते थे।

***

***

इस तरह की शर्तों द्वारा विचार किया गया। उक्त निर्णय में आगे कहा गया कि बोर्ड एक सांविधिक प्राधिकरण है और इसे 1948 के अधिनियम के ढांचे के भीतर कार्य करना है। यदि बोर्ड का कार्य कानून, नियम या विनियमन के कुछ वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप या उल्लंघन में नहीं है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में चुनौती देने के लिए हमेशा खुला है। 79. उपरोक्त निर्णयों को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि बिजली के अंतर-राज्य व्यापार में व्यापार मार्जिन का निर्धारण धारा के तहत विनियम बनाकर किया जा सकता है।

178 2003 के अधिनियम से। के तहत व्यापार मार्जिन तय करने की शक्ति

इसलिए, धारा 178 एक विधायी शक्ति है और उस धारा के तहत जारी अधिसूचना अधीनस्थ के एक टुकड़े के बराबर है।

विधान, जिसका इस अर्थ में एक सामान्य अनुप्रयोग है कि यहाँ तक कि परिवर्तन निगम भी।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

मौजूदा अनुबंधों को संशोधित करने की आवश्यकता है

विवादित विनियम। ये नियम एक प्रवेश मार्ग बनाते हैं

पक्षों के बीच संविदात्मक संबंध। ऐसी है गुंजाइश

और विवादित विनियमों का प्रभाव, जो नहीं हो सकता था

धारा के तहत व्यापार मार्जिन तय करने के आदेश द्वारा किया गया

79 (1) (जे)। नतीजतन, विवादित नियम नहीं गिर सकते हैं।

2003 की धारा 111 में "आदेश" शब्द के दायरे में

एक्ट करें।

***

***

***

92. (i) विनियामक शक्तियों और कार्यों के पदानुक्रम में

2003 का अधिनियम, धारा 178, जो विनियम बनाने से संबंधित है।

केंद्रीय आयोग द्वारा, अधीनस्थ के अधिकार के तहत

विधान, 2003 के अधिनियम की धारा 79 (1) से व्यापक है, जो

केंद्रीय आयोग के नियामक कार्यों की गणना करता है,

निर्दिष्ट क्षेत्रों में, आदेशों (निर्णयों) द्वारा निष्पादित किया जाना।

((ii) विनियामक के एक भाग के रूप में धारा 178 के तहत एक विनियमन।

मौजूदा अनुबंधों की रूपरेखा तैयार करता है, हस्तक्षेप करता है और यहां तक कि ओवरराइड भी करता है

विनियमित संस्थाओं पर अपने वर्तमान और भविष्य को संरेखित करने का दायित्व उक्त विनियम के साथ अनुबंध।

(जोर दिया गया)

42. वे नियम जो मामले में विचार के लिए आए थे

टी. सी. इंडिया लिमिटेड (ऊपर) को नीचे निकाला गया हैः

" केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग

सूचना

नई दिल्ली, 23-1-2006

नहीं। एल-7/25 (5)/2003-सीईआरसी। जबकि केंद्रीय बिजली

विनियामक आयोग की राय है कि यह आवश्यक है कि

बिजली के अंतर-राज्य व्यापार के लिए व्यापार मार्जिन तय करें। इसलिए अब धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

178 विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) और अन्य सभी शक्तियां

इसे इस संबंध में सक्षम बनाना, और पिछले प्रकाशन के बाद, केंद्रीय

विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित बनाता हैः विनियम, अर्थात् [2019] 17 एस. सी. आर.

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ। - (1) ये नियम हो सकते हैं

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (निर्धारण) कहा जाए व्यापार सीमा) विनियम, 2006।

(2) ये विनियम उनकी तिथि से लागू होंगे।

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन।

2. व्यापार सीमा। लाइसेंसधारी व्यापार के लिए शुल्क नहीं लेगा।

कारोबार की जाने वाली बिजली पर चार (4 पैसे) प्रति किलोवाट घंटे से अधिक का मार्जिन,

अनुसूचित ऊर्जा के लिए शुल्क को छोड़कर सभी शुल्कों को शामिल करते हुए,

खुली पहुँच, और संचरण हानि। स्पष्टीकरण। खुली पहुँच के लिए शुल्कों में शामिल हैं -

पारेषण शुल्क, परिचालन शुल्क और आवेदन शुल्क।

ए. के. सचान, सचिव "।

43. 1999 के विनियमों के विनियम 42 के तहत आयोग ने

ई बिजली की आपूर्ति के लिए मॉडल शर्तों को तैयार करने की शक्ति

लाइसेंसधारी द्वारा टेड। 1999 के विनियमों के विनियम 42 का उल्लेख नीचे किया गया है:

" 42. बिजली की आपूर्ति की मॉडल स्थितियाँ

1) . (i) आयोग समय-समय पर मॉडल की जांच कर सकता है।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनाई जाने वाली आपूर्ति की शर्तें, जिनके साथ

आयोग द्वारा निर्देशित परिवर्तन, और अनुज्ञप्तिधारी आयोग को आपूर्ति की अंतिम शर्तें प्रस्तुत करें

मंजूरी मिल गई।

((ii) अनुज्ञप्तिधारी हमेशा अपने कार्यालय में पर्याप्त राशि रखेगा।

और मांग करने पर ऐसी प्रतियां किसी भी आवेदक को एक कीमत पर बेच देंगे। सामान्य फोटोकॉपी शुल्क से अधिक नहीं।

2) . (i) आयोग ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 28 से 31 के अनुसार या लाइसेंस के नियमों या शर्तों का संभावित उल्लंघन

लाइसेंसधारी।

((ii) अधिनियम की धारा 28 से 31 के प्रावधानों के अधीन और

आयोग उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन इस प्रकार कर सकता हैः

जहाँ तक संभव हो, अध्याय 2 में निर्धारित सामान्य प्रक्रिया

से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही से निपटने में इन विनियमों में से एक लाइसेंसधारी द्वारा उल्लंघन या संभावित उल्लंघन। परिवहन निगम।

44. आयोग के पास लाइसेंसों में संशोधन करने की भी शक्ति है

1999 के विनियमों के विनियम 45 के तहत प्रदान किया गया। विनियमन 45 यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" 45. दिए गए लाइसेंस में संशोधन

(1) अधिनियम की धारा 19 के संदर्भ में दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों में परिवर्तन या संशोधन के लिए संबंधित लाइसेंसधारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन ऐसे प्रपत्र में किया जाएगा जो हो सके -

आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्देशित। आवेदन को शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा जैसा कि प्रदान किया गया है।

विनियमों के अध्याय II में।

(2) जब तक आयोग द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, आयोग में संशोधन या परिवर्तन के लिए प्रत्येक आवेदन

अनुज्ञप्ति के साथ आयोग द्वारा अपेक्षित शुल्क की रसीद होगी, जिसका भुगतान इस तरीके से किया जाएगा।

आयोग द्वारा निर्देशित।

(3) जब तक आयोग द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक लाइसेंस देने के लिए इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया, जहां तक इसे लागू किया जा सकता है, का पालन संशोधन के लिए आवेदन पर विचार करते समय किया जाएगा या

अनुज्ञप्ति में परिवर्तन "।

45. 1999 के विनियमों को वर्ष 2000 में प्रथम संशोधन विनियम, 2000 द्वारा संशोधित किया गया है। के विनियम 45-ए के अनुसार व्यवसाय संचालन विनियमों के अध्याय IV-ए में संशोधन द्वारा अंतःस्थापित विनियम, 2000, शुल्क निर्धारित करने के लिए आयोग के लिए खुला है। उसी को यहाँ नीचे निकाला गया हैः

45 - ए. शुल्कों और शुल्क प्रस्तावों से अपेक्षित राजस्वः

(1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक वर्ष, लाइसेंस द्वारा आवश्यक समय पर या अन्यथा, जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, प्रत्येक लाइसेंसधारी (पारेषण और थोक आपूर्ति या

वितरण और खुदरा आपूर्ति, जैसा भी मामला हो) के साथ फाइल की जाएगी

आयोग, द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रारूप में

वित्तीय वर्ष शुल्कों से अपेक्षित कुल राजस्व इसके वर्तमान में अनुमोदित शुल्क और अपेक्षित लागत के तहत

सेवाएँ प्रदान करना।

(2) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी एक से अधिक व्यवसाय करता है, अर्थात् पारेषण और थोक आपूर्ति या वितरण और खुदरा आपूर्ति, तो उपरोक्त खंड (1) में निर्दिष्ट विवरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्येक अलग-अलग व्यवसाय के लिए अलग-अलग और प्रत्येक ऐसे व्यवसाय के संबंध में इस तरह से दिया जाएगा जो आयोग निर्देशित करे। (3) उपरोक्त खंड (1) में निर्दिष्ट विवरणों में निम्नलिखित विवरण होंगेः

(i) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ग्राहक या उपभोक्ता श्रेणी द्वारा लाइसेंसधारी की मांग का पूर्वानुमान और

पूर्वानुमान;

((ii) अपेक्षित कुल राजस्व की गणना जो इसी अवधि के दौरान उपरोक्त मांग के परिणामस्वरूप होगी।

ग्राहक द्वारा वर्तमान में अनुमोदित शुल्क के तहत या

उपभोक्ता श्रेणी;

(iii) लाइसेंसधारी की अनुमानित लागत की गणना

गणना की गई उसी अवधि के दौरान प्रत्येक ग्राहक या उपभोक्ता श्रेणी के लिए उपरोक्त उपखंड (i) में इंगित मांग के स्तर के अनुसार आवश्यक सेवा प्रदान करना।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की छठी अनुसूची में वित्तीय सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों या ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार -

आयोग समय-समय पर निर्धारित कर सकता है;

(iv) आगामी वर्ष में लिए जाने वाले संशोधित शुल्क के प्रस्ताव, यदि कोई हो, सहित अपेक्षित कुल राजस्व और सेवाओं की अपेक्षित लागत के बीच अंतर से निपटने के लिए लाइसेंसधारी का प्रस्ताव,

उपभोक्ता की किसी भी विशिष्ट श्रेणी के लिए नुकसान में कमी, शुल्क संरचना में बदलाव के लिए प्रस्तावित योजना;

(v) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यवसायों के अलावा कोई अन्य व्यवसाय या सेवाएँ करता है, तो लाइसेंसधारी ऐसे विवरणों के साथ अलग-अलग राजस्व और व्यय विवरण देगा जो आयोग को ऐसे व्यवसाय या सेवाओं के संबंध में चाहिए; और

(vi) ऐसी अन्य जानकारी जो आयोग निर्देशित करे।

समय-समय पर।

रेन्समिशन कार्पोरेशन। आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

(4) अनुज्ञप्तिधारी आयोग को ऐसी अतिरिक्त जानकारी, विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिनकी आयोग को राजस्व गणना और शुल्क प्रस्तावों को दाखिल करने के बाद समय-समय पर आवश्यकता हो।

(5) आयोग, समय-समय पर, राजस्व गणना और शुल्क प्रस्तावों का विवरण दाखिल करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है, और जब तक आयोग द्वारा माफ नहीं किया जाता है, तब तक लाइसेंसधारी आयोग द्वारा जारी किए गए ऐसे दिशानिर्देशों का पालन करेगा। (6) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है,

आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई राजस्व गणना और प्रशुल्क प्रस्तावों पर कार्यवाही करेगा और ऐसे व्यक्तियों को सुन सकता है जिन्हें आयोग ऐसी राजस्व गणना और प्रशुल्क प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए उचित समझे।

(7) अनुज्ञप्तिधारक के राजस्व गणना और शुल्क प्रस्तावों पर सुनवाई की प्रक्रिया उसी तरीके से होगी जैसा आयोग समय-समय पर तय करता है।

(8) अनुज्ञप्तिधारी और ऐसे अन्य पक्षों को सुनने पर जिन्हें आयोग उचित समझता है और ऐसी अन्य जांच करने पर, आयोग एक आदेश देगा और अनुज्ञप्तिधारी को राजस्व गणना और शुल्क पर अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा। अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (5) में दिए गए प्रस्ताव।

(9) उपरोक्त खंड (8) के तहत या उसके बाद किसी भी समय आदेश देते समय आयोग शुल्क के प्रकाशन का निर्देश दे सकता है कि लाइसेंसधारी विभिन्न उपभोक्ताओं से शुल्क लेगा या

आगामी वित्तीय वर्ष में ग्राहक और उनकी श्रेणियां।

(10) अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क या शुल्क को आपूर्ति के क्षेत्र में प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा जैसा कि आयोग समय-समय पर निर्देश दे सकता है। प्रकाशन में आयोग द्वारा अपेक्षित अन्य बातों के अलावा शुल्क का सामान्य विवरण भी शामिल होगा।

संशोधन और उपभोक्ताओं के वर्गों पर इसका प्रभाव।

(11) उपरोक्त खंड (10) के तहत इस प्रकार प्रकाशित शुल्क आपूर्ति के क्षेत्र में लागू अधिसूचित शुल्क बन जाएंगे और

शुल्कों के पहले प्रकाशन की तारीख से आयोग द्वारा निर्देशित दिनों की संख्या, जो सात दिनों से कम नहीं होगी, के बाद ही यह प्रभावी होगा।

उस शुल्क को छोड़कर किसी भी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार दरों को किसी भी ईंधन अधिभार के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

अनुमोदन के साथ शुल्क में शामिल समायोजन सूत्र

आयोग से। बशर्ते कि परिणामी आदेश जो आयोग राज्य को सब्सिडी देने के लिए जारी कर सकता है

सरकार धारा 12 (3) और/या 27 (1) के तहत प्रावधान कर सकती है।

तथापि, अनुज्ञप्तिधारी इसमें उचित समायोजन करेगा - में सब्सिडी राशि के लिए उपभोक्ताओं पर उठाए जाने वाले बिल

जिस तरह से आयोग निर्देश दे सकता है।

(जोर दिया गया)

46. विनियमों के तहत, विभिन्न समझौते भी किए गए हैं

संशोधन किया गया, और संचरण और थोक आपूर्ति से संबंधित शुल्क और शुल्क निर्धारित करने के लिए विनियमों के तहत पूर्ण शक्ति है या

विनियमन 45-ए (2) में प्रावधान के अनुसार वितरण और खुदरा आपूर्ति।

47. ईंधन अधिभार समायोजन सूत्र में दिया गया है

विनियम 45-बी और विनियम 45-सी के तहत सब्सिडी। के तहत

विनियम 45-ए (8), यह स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी और ऐसे अन्य पक्षों को सुनने पर जिन्हें आयोग उचित समझता है और

ऐसी अन्य जांच, आयोग एक आदेश देगा और सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 26 (5) में दिए गए राजस्व गणना और शुल्क प्रस्तावों पर अपने निर्णय के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करेगा। इस प्रकार, पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय के बल पर, यह स्पष्ट है कि जो अनुबंध किए गए थे, वे सुधार अधिनियम, 1998 के तहत वर्ष 1999 में बनाए गए विनियमों द्वारा वर्ष 2000 में संशोधित किए गए थे। इस प्रकार, लाइसेंसधारियों की ओर से प्रस्तुत किया गया निवेदन

कि निष्कर्षित अनुबंध बाध्यकारी हैं और रोक लगाई गई थी और व्हीलिंग शुल्क निर्धारित करने के लिए नियामक आयोग की शक्ति के बारे में असमर्थनीय है। आयोग ऐसे प्रभारों को निर्धारित करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जो शक्ति विधायी है। वैधानिक अनुबंधों को बनाए गए नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। कोई अवरोध नहीं बनाया जाता है। यह सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 12

के तहत सरकार के लिए आरक्षित नीति का विषय नहीं था। धारा 26 (5) के अनुसार, शुल्कों के निर्धारण का प्रयोग स्थानांतरण निगम कर सकता है।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

नहीं। प्रोमिसरी एस्टोपल की प्रयोज्यता का कोई सवाल ही नहीं है। ई आपत्तियों के रूप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है

आमंत्रित किया गया, और लाइसेंसधारियों को सुना गया।

48. वी. एस. राइस एंड ऑयल मिल्स बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,

1964 एस. सी. 1781, इस न्यायालय ने निर्दिष्ट के तहत बिजली की आपूर्ति के लिए किए गए वैधता समझौते के सवाल पर विचार किया है।

दस वर्षों के लिए और बढ़ाने के लिए नियामक शक्तियों का प्रयोग

समझौते को बरकरार रखने के बाद अधिनियमित कानून के तहत। द.

चींटी के हिस्से को नीचे निकाला गया हैः

" 21. यह हमें अगले सवाल पर ले जाता है कि क्या

विवादित अधिसूचित आदेश अमान्य हैं क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और (छ) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। द.

विवादित आदेशों को शक्ति के आधार पर अधिसूचित किया गया है

धारा 3 (1) द्वारा प्रत्यर्थी को प्रदान किया गया और इसलिए,

अनुच्छेद 19 के प्रयोजन के लिए कानून के रूप में माना जाएगा। हम भी कर सकते हैं

अपीलार्थियों के पक्ष में यह मान लेना कि समझौतों में निर्दिष्ट दरों पर बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो अनुच्छेद 19 (i) (f) या (g) के अंतर्गत आता है। फिर भी, क्या यह कहा जा सकता है कि विवादित अधिसूचित आदेश उचित नहीं हैं और आम जनता के हित? यही सवाल है कि

वर्तमान विवाद से निपटने के लिए जवाब की मांग करता है। यह सच है कि विवादित अधिसूचित आदेश जारी करके, प्रत्यर्थी ने अपने संबंधित अनुबंधों के लिए पक्षों के बीच सहमत दरों को सफलतापूर्वक बदल दिया है और यह, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है

अनुचित बनें। लेकिन, दूसरी ओर, सबूत बताते हैं कि

जो शुल्क कई साल पहले तय किया गया था वह बन गया था

पूरी तरह से पुराना और लेखाकार द्वारा दी गई रिपोर्ट

समय-समय पर सामान्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि प्रतिवादी

बहुत अधिक बढ़ गया है; इस बीच, एक मामला निश्चित रूप से था विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए शुल्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। लेकिन यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं होगा कि दरों में वृद्धि द्वारा अपीलार्थियों के अधिकार पर लगाया गया प्रतिबंध उचित है और केवल आम जनता के हित में है।

क्योंकि विवादित आदेशों ने बार-बार होने वाले नुकसान को बचाया है

प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंधों के तहत किया गया खर्च।

और सामान्य तर्क को स्वीकार कर लिया गया, इससे कुछ मामलों में अनुचित और यहां तक कि विसंगत परिणाम भी हो सकते हैं। हालाँकि, इस प्रश्न पर बड़े पैमाने पर समुदाय के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए; और इस प्रकार, विवादित आदेशों की वैधता का समर्थन करने वाला बिंदु यह है कि ये आदेश

केवल विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारित किए गए थे और यह स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर समुदाय की भलाई के लिए होगा। जब तक कीमतें नहीं बढ़ाई जाती थीं, तब तक बिजली की आपूर्ति बंद होने का खतरा था। यदि प्रत्यर्थी को लगता है कि अपीलार्थियों के साथ किए गए समझौतों के परिणामस्वरूप साल-दर-साल सार्वजनिक खजाने को भारी नुकसान हो रहा है, तो उसे इस बात पर विचार करना होगा कि आपूर्ति में कटौती नहीं की जानी चाहिए या पूरी तरह से बंद नहीं किया जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि प्रत्यर्थी ने बड़े पैमाने पर जनता के प्रति अपने दायित्व को स्वीकार किया और सोचा कि उन उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करना जो इसका उपयोग लाभ कमाने के उद्देश्यों के लिए कर रहे थे, सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाना उचित और वैध नहीं होगा, और यह

संभावित रूप से संचालन और पूर्वव्यापी रूप से नहीं। इसलिए, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में, हम तैयार हैं अभिनिर्धारित करें कि अधिसूचित आदेशों द्वारा शुल्क में किया गया परिवर्तन उचित और सामान्य हित में होना चाहिए।

सार्वजनिक "।

49. लाइसेंसधारियों ने भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी बनाम पर भरोसा किया है।

राज्य विद्युत बोर्ड, (1975) 2 एस. सी. सी. 414, धारा 49 (1) के तहत राज्य विद्युत बोर्ड के साथ कार्य करता है, जो बोर्ड को धारा 49 (3) के तहत अनुमति के अनुसार किए गए समझौते को रद्द करने में सक्षम नहीं बनाता है। हमारी राय में, बिजली आपूर्ति की धारा 49 (1) के तहत शुल्क निर्धारण का आर 1948 की धारा और धारा 49 (3) के तहत किए गए समझौते किराए के अर्थ हैं। सुधार अधिनियम, 1998 के प्रावधानों ने आयोग को पारेषण, हस्तांतरण निगम के लिए शुल्क और शुल्क तय करने के लिए बाध्य किया।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

वितरण, और इसी तरह। पूरी शक्ति आयोग को दी गई है, और इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड में निर्णय दिया है। (ऊपर दिया गया है) कि एक बार नियम बनाए जाने के बाद, वे निष्कर्षित अनुबंध में भी प्रवेश करते हैं। अतः इस निर्णय से कोई लाभ नहीं होगा। विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 49 (3) बोर्ड को बिजली की आपूर्ति के लिए अलग-अलग शुल्क तय करने के लिए अधिकृत करती है। वर्तमान मामले में सवाल

(ए) विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा, केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में इस तरह के उत्पादन को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों को ध्यान में रखते हुए सरकार जिसमें भारत एक पक्ष है। यह भी आग्रह किया गया कि केंद्र सरकार ने ऊर्जा बढ़ाने के लिए निजी भागीदारी को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है

उत्पादन, और अक्षय ऊर्जा के विकास पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार के पास सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 12 के तहत भी शक्ति थी और नीतिगत निर्णय आयोग को बाध्य करता है। 52. प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि नीतियां हमेशा विधायी हस्तक्षेप के अधीन होती हैं, और एक बार जब राज्य सरकार ने

वैधानिक प्रावधान किए जाने पर, इसे लागू करना होगा, और हम पाते हैं कि ऐसी किसी भी नीति को आने वाले सभी समय तक जारी रखने पर विचार नहीं किया गया था। यह नीति सुधार अधिनियम, 1998 में ही समाप्त हो गई है और यह आयोग की स्थापना और पृथक्करण वितरण और संचरण के लिए वैधानिक रूप में प्रदर्शित सुधारों के लिए सरकार के दायित्वों को इंगित करती है। सुधार केवल नीतियों के कारण किए गए हैं, और एक बार जब उन्हें वैधानिक अभिव्यक्ति मिल जाती है, तो उनका पालन किया जाना तय है।

53. पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के निर्णय और ऊपर उल्लिखित चर्चा द्वारा पहले से ही ध्यान में रखे गए निहित अधिकारों और संपन्न अनुबंधों के बारे में भी एक प्रस्तुति दी गई थी।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रदेश और ओआरएस। , (1979) 2 एस. सी. सी. 409, पवन अलॉयज एंड कास्टिंग प्रा. लिमिटेड, मेरठ बनाम। यू. पी. राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य। , 1997 (7) एस. सी. सी. 251, आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग बनाम। आर वी के एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. , (2008) 17 एस. सी. सी. 769, जहाँ निर्धारित कानून है, को इस मामले में लागू नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में कोई स्पष्ट वादा नहीं था, और वैधानिक प्रावधान अनुबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं और उनका स्थान ले सकते हैं।

55. के तिरस्कार के बारे में प्रस्तुतियाँ उठाई गईं

सुधार अधिनियम, 1998। हम पाते हैं कि एक बार सुधार अधिनियम, 1998 लागू हो जाने के बाद, इसे लागू करना होगा, और प्रावधानों के अधिकार पर सवाल नहीं उठाया गया है। सुधार अधिनियम, 1998 में निहित प्रावधानों को देखते हुए, गुण-दोष के आधार पर, तिरस्कार के संबंध में उठाई गई दलीलों का कोई आधार नहीं है। तिरस्कार का सवाल भी उच्च न्यायालय के समक्ष उचित रूप से नहीं उठाया गया था और इस न्यायालय में बाद में विचार के रूप में नहीं उठाया जा सकता है।

56. रिलायंस को बिनानी जिंक लिमिटेड वी पर भी रखा गया है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य। , (2009) 11 एस. सी. सी. 244, निम्नलिखित टिप्पणियों परः

" 31. राज्य विद्युत बोर्ड 1948 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार शुल्क तय करने के हकदार हैं। इस प्रकार बनाया गया शुल्क विधायी है। बोर्ड, एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में, चार के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए बाध्य है।

कानून के कोने। इसे 1948 में निर्धारित प्रावधानों को अपनाकर शुल्क निर्धारण के क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए।

अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम।

बिनानी जिंक लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने विद्युत बोर्ड की शक्तियों पर विचार किया है और कहा है कि शुल्क तय किया जाना चाहिए कानून के चार कोनों के भीतर। ऊपर वर्णित प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह उत्तरदाताओं की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामले के गुण-दोष पर मदद नहीं करता है।

सुधार अधिनियम, 1998 के तहत आयोग।

57. समझौते की व्याख्या के संबंध में, अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड बनाम अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड पर निर्भरता रखी गई है। गुजरात विद्युत परिवहन निगम।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

विनियामक आयोग और अन्य। , ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 3397, जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि समझौते के खंडों को स्पष्ट किया जाना चाहिए,

अभिव्यक्ति का शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ। ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है, हालांकि, सुधार अधिनियम, 1998 के प्रावधान स्पष्ट, स्पष्ट हैं और आयोग को आरोप निर्धारित करने का अधिकार देते हैं।

58. उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि संयुक्त आवेदन नहीं थे

बनाए रखने योग्य। ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. के पास लाइसेंस संख्या 1/2000 थी।

पारेषण और थोक आपूर्ति और खंड 22 के साथ पठित खंड 20 के अनुसार, यह ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. पर बाध्यकारी है कि वह प्रणाली के तहत किए गए शुल्क या यहां तक कि प्रणाली शुल्क/नुकसान की तालिका का उल्लेख करे। इस प्रकार, एक संयुक्त आवेदन कुछ भी नहीं है, बल्कि लाइसेंस के तहत एक दायित्व है, और संयुक्त आवेदन जमा करने से कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है। इस प्रकार, इसके विपरीत, उच्च न्यायालय का निर्णय निरर्थक पाया जाता है। आयोग द्वारा संयुक्त अनुप्रयोग की रखरखाव के मुद्दे पर भी विस्तार से विचार किया गया है।

59. संयुक्त अनुप्रयोग को बनाए रखने योग्य रखने का कारण यह है कि एक एकीकृत संचरण वितरण है

राज्य में व्यवस्था। यह प्रणाली शुरू में पूरी तरह से ए. पी. एस. ई. बी. के स्वामित्व और नियंत्रण में है, और सुधारों के बाद, यह आई. डी. 1 तक ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. के नियंत्रण में आ गया है। वर्तमान अनुप्रयोग लागू व्हीलिंग शुल्क के निर्धारण के लिए अपनी तरह का पहला है

संचरण वितरण प्रणाली। आपत्ति तकनीकी है, और यदि संयुक्त याचिकाओं को बनाए रखा जाता है, तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि आयोग ने हस्तांतरण और प्रतिनिधि इकाइयों से संबंधित मुद्दे को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया है और शुल्क निर्धारित किए हैं जो व्हीलिंग का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के लिए उचित हैं। सेवाएँ। इस प्रकार, आयोग के दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय द्वारा दोष नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, इस संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय भी दोषपूर्ण और अस्थिर है।

60. शुल्क निर्धारित करने के गुणों पर आते हुए, आयोग ने आदेश पारित करते समय व्हीलिंग शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया है:

9.12 एफ. वाई. के लिए 01.04.2002 से देय व्हीलिंग शुल्क।

2002-2003 तदनुसार नीचे के रूप में काम किया जाता है।

2002-03 के लिए पहियों के शुल्क की गणना:

क) नकद में:

विशेष रूप से व्यय

	आम्ट। रु.
मजदूरी और वेतन	490.65
प्रशासन और सामान्य व्यय	105.20
मरम्मत और रखरखाव	185.66
	5.13
किराया दरें और कर	
स्वीकृत ऋण ब्याज	5609.31
प्रतिभूति जमा पर ब्याज	31.37
कानूनी आरोप	0.97
लेखापरीक्षा और अन्य शुल्क	2.23
	508.59
अवमूल्यन	
अन्य खर्च	39.30
कर्मचारी पेंशन और उपदान में योगदान।	

64.95

21.45

आकस्मिकता भंडार में योगदान

व्यय का उप-कुल

2015.81

82.37

उचित वापसी

कुल सकल राजस्व की आवश्यकता

2098.18

कम गैर-शुल्क आय

529.86

नेट राजस्व आवश्यकता

1568.32

मिलियन इकाइयाँ (सकल)

41954

उचित सहित नेटवर्क शुल्क

(1568.3

2

37 ps/kwh वापसी

41954

एम.

व्हीलिंग शुल्क (बाहरी) 3 पी. एस./के. डब्ल्यू. एच.

(सी

आधारित

सूचना

संतुलन और सहायक शुल्क

पीएस/केवी

पी. एस./इकाई में कुल व्हीलिंग शुल्क।

50 पी एस/के

(कुल टी के ऊपर शुल्क)

परिवहन निगम। आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

ख) इन-काइंडः

इसके अलावा, परियोजना डेवलपर द्वारा ऊर्जा इनपुट के 28.4% के रूप में व्हीलिंग शुल्क प्रणाली के नुकसान के कारण लाइसेंसधारी के ग्रिड में लगाया जा सकता है।

61. उच्च न्यायालय आयोग द्वारा विचार किए गए विभिन्न पहलुओं में प्रवेश किए बिना विशेषज्ञों द्वारा लिए गए गुण-दोष पर निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इस प्रकार, आरोपों के निर्धारण के गुण-दोष पर निष्कर्ष किसी भी तरह से अवैध और अनुचित है, इसे टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय नहीं गया है

विभिन्न कारणों और आयोग द्वारा विचार किए गए विवरण और एक बार विशेषज्ञ निकाय द्वारा विशिष्ट शुल्क निर्धारित करने के बाद, ऐसे मामलों में सामान्य रूप से हस्तक्षेप करना अदालतों का काम नहीं है। हम दृढ़ संकल्प को उचित पाते हैं और किसी भी दुर्बलता या अवैधता से पीड़ित नहीं होते हैं। आयोग ने

उल्लिखित आंकड़े पर पहुंचने के लिए एक विस्तृत चर्चा की है

ऊपर। वसूली नेटवर्क शुल्क, शुल्क संरचना और नकद या किसी अन्य प्रकार में व्हीलिंग शुल्क के सवाल पर भी विचार किया गया है। विभिन्न प्रकार के प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है। ए. पी. टी. आर. ए. एन. सी. ओ. और डिस्कॉम्स के बीच व्यवस्था की प्रकृति और आपस में

अंक संख्या 4 का निर्णय लेते समय डिस्कॉम्स पर विचार किया गया है। 62. प्रणाली के उपयोग को प्रणाली में नुकसान से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। उपयोग करने वाले सभी लोग

प्रणाली को प्रणाली के नुकसान को सहन करना चाहिए, चाहे वह तकनीकी हो या गैर-तकनीकी। संयोग से, ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. और डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तें विशेष रूप से ऐसी बिजली देने, बिजली के नुकसान को एक निर्दिष्ट बिंदु पर समायोजित करने के लिए संदर्भित करती हैं। प्रणाली में तकनीकी नुकसान को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि ये भी प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं।

बिजली जो उत्पन्न होती है, उस वोल्टेज स्तर तक के तकनीकी नुकसान को मापा नहीं जा सकता है जिस पर बिजली वितरित की जाती है। द. कुल प्रणाली के तकनीकी नुकसान को ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह निर्धारित करना असंभव है कि किस स्रोत से बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

किस विशेष ग्राहक के लिए। सभी स्रोतों से बिजली मिलती है। प्रणाली में संयुक्त और अपनी पहचान खो देता है। चूंकि प्रणाली में निवेश भी किया गया है, इसलिए यह स्पष्ट था कि आवश्यक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन आरईः ग्रिड समर्थन शुल्क

63. ग्रिड समर्थन शुल्क के संबंध में, इसे स्वीकार कर लिया गया है

पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा कि व्हीलिंग शुल्क के रूप में मामलों के उपरोक्त बैच में निर्णय को ग्रिड समर्थन को नियंत्रित करना होगा चूंकि हमने व्हीलिंग शुल्क के संबंध में आयोग के आदेश को बरकरार रखा है, इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करना होगा।

64. कोई भी सरकारी आदेश या प्रोत्साहन योजना शासन नहीं करती है।

ग्रिड समर्थन शुल्क। ग्रिड कोड ग्रिड समर्थन शुल्क लगाने का आधार है, जिसे आयोग द्वारा 26.5.2001 पर अनुमोदित किया गया था। वही आक्षेपित क्रम में भी परिलक्षित होता है। इस प्रकार, एक अन्य सी. पी. पी. की स्थापना के मामले में, वह ग्रिड पर एक अतिरिक्त भार होगा, और विस्तार के रूप में अतिरिक्त ग्रिड सी. पी. पी. स्थापित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि ग्रिड कुशनिंग के रूप में कार्य करता है। ग्रिड समर्थन शुल्क लगाया जा सकता है, और आयोग का दिनांकित 8.2.2002 आदेश

इस प्रकार, तर्कों की समानता के आधार पर, सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 21 (3) के प्रावधानों पर विचार करते हुए इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 26 के साथ पठित धारा 11 के तहत, वितरण और ग्रिड समर्थन शुल्क के तहत सभी निश्चित शुल्क केवल एक वितरण कंपनी के कहने पर लगाए जा सकते हैं, और उपरोक्त चर्चा के कारण, आयोग के पास इसे निर्धारित करने की शक्तियां हैं। समझौतों में एक ऐसी शक्ति भी है जहां बोर्ड एकतरफा रूप से ग्रिड समर्थन शुल्क तय कर सकता था, लेकिन सुधार अधिनियम, 1998 के अधिनियमित होने के कारण आयोग में आवेदन दायर किया गया था। उसके बाद आयोग ने कानून के अनुसार आदेश पारित किया है। हम इसमें कोई दोष नहीं पाते हैं। इस प्रकार, ग्रिड समर्थन शुल्क से संबंधित आयोग के आदेश को बरकरार रखना होगा। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को व्हीलिंग शुल्क के साथ-साथ ग्रिड समर्थन शुल्क के संबंध में अलग रखा जा सकता है।

इन आरईः गैर-संयोजक की शुरुआत

ऊर्जा

65. अपीलों के तीसरे समूह में शामिल सवाल यह है कि क्या गैर-पारंपरिक ऊर्जा को प्रोत्साहन जारी रखा जाना चाहिए। शुल्क

ए. पी. ई. आर. सी. द्वारा धारा 62 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 2004-05,2005-06 और 2006-09 वर्षों में आदेश पारित किए गए थे। विद्युत अधिनियम, 2003। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 111 के तहत एपीटीईएल के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी गई थी। विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह था कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 18.11.1997 और 22.12.1998 पर जारी किए गए सरकारी आदेश, विशिष्ट परिवर्तन निगम का विस्तार करते हैं।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. ' एस रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।] गैर-पारंपरिक ऊर्जा से बिजली के उत्पादकों को आकर्षित करता है

हम बाध्यकारी हैं और सरकार और आयोग के खिलाफ वादा रोकने का सिद्धांत उन्हें प्रभावी बनाने के लिए बाध्य था।

66. सरकारी आदेश दिनांक 18.11.1997, प्रोत्साहित करता है

ईवेबल ऊर्जा/गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। सरकार ने विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान करने में सहायता की, इस प्रकारः

" सरकार, सावधानीपूर्वक जाँच के बाद

अनुशंसाएँ और पीढ़ी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली इसके द्वारा अनुमति देती है

आधार पर सभी परियोजनाओं के लिए एक समान प्रोत्साहन का पालन करना

अक्षय ऊर्जा के स्रोत। पवन, बायोमास, सह-उत्पादन, नगरपालिका अपशिष्ट और लघु पनबिजलीः

Sl.No। विवरण

बिजली खरीद मूल्य

रु. 2. 25 /

1 .

5 % 1997-98 के साथ प्रति वर्ष

वृद्धि

2 .

आधार वर्ष के रूप में और

वर्ष 2000 तक

एडी.

2 %

3 .

व्हीलिंग चार्जर

थर्ड-पार्टी बिक्री

कम शुल्क पर अनुमति नहीं

4 .

A.P.S.E का एच. टी. शुल्क।

बोर्ड।

5 .

बैंकिंग

12 महीने तक की अनुमति

पूरे वर्ष अनुमति दी गई

(ए) बंदी

2 % बैंकिंग शुल्क

उपभोग

2 प्रतिशत बैंकिंग की अनुमति

(ख) तृतीय पक्ष बिक्री

अगस्त से शुल्क

मार्च

यह आदेश वित्त और योजना की सहमति से जारी किया गया है।

(फिन.) विभाग ने अपने यू. ओ. No.46291/351/ई. बी. एस.-ई. एफ. ई. एस. एंड टी/का वीडियो बनाया।

97 , दिनांकित 18.11.1997 "। 67. सरकार ने दिनांकित एक और जीओ एमएस No.112 जारी किया

12.1998 , सटीक स्पष्टीकरण देते हुए कि लाभ [2019] 17 एस. सी. आर. होंगे।

केवल उन बिजली परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है जहां उपयोग किया जाने वाला ईंधन गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से है, जो अक्षय ऊर्जा की प्रकृति के हैं।

ऊर्जा के स्रोत। इस योजना पर तीन साल तक नजर रखी जाएगी। उसके बाद, राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान रूप या संशोधित रूप में प्रोत्साहनों को जारी रखने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव लेकर आएगा।

68. आयोग ने वर्ष 2004-05,2005-06 और 2006-09 के लिए दिनांकित 22.3.2005 और 23.3.2006 टैरिफ आदेश पारित किए थे। द.

ए. पी. टी. ई. एल. ने विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से अपीलों की अनुमति दी है और यह माना है कि 18.11.1997 और 22.12.1998 दिनांकित नीतिगत निर्णयों का प्रभाव, जो एक वैधानिक स्वाद था, बिजली अधिनियम, 2003 में निहित प्रावधानों द्वारा दूर नहीं किया गया था। इस नीति ने उद्यमियों के पक्ष में निहित अधिकार पैदा किए हैं और इन निहित अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता था। जी. ओ. एम. एस. No.93 दिनांकित 18.11.1997 द्वारा बनाए गए अधिकार तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि उन्हें कानून के अनुसार वापस नहीं लिया जाता। वचन का सिद्धांत

जी. ओ. एम. एस. Nos.93 और 112, दिनांकित 18.11.1997 और 22.12.1998 के पीछे की आत्मा की दृष्टि खो दी है। ए. पी. टी. ई. एल. के निर्णय से व्यथित होकर ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. ने अपीलों को प्राथमिकता दी है। 69. प्रॉमिसरी एस्टोपेल की प्रयोज्यता पर विचार करने के लिए, यह देखना होगा कि क्या उपरोक्त सरकारी आदेश शामिल हैं

लाभ बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता। इसके विपरीत, लाभ केवल तीन साल तक सीमित था। आयोग ने सुधार अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत इसे समय-समय पर बढ़ाया और इस तरह का अंतिम विस्तार 28.7.2001 पर समाप्त हो गया। आयोग ने शुल्क निर्धारित करने वाले विवादित आदेश द्वारा लाभ का विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया।

70. आंध्र के पारेषण निगम में यह न्यायालय

प्रदेश लिमिटेड और एक अन्य वी। साई रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2011) 11 एस. सी. सी. 34 ने उपर्युक्त जी. ओ. एम. एस. दिनांक 18.11.1997 और 22.12.1998 पर विचार किया है, जिसमें ए. पी. ई. आर. सी. ने गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों से बिजली के उत्पादकों पर लागू शुल्क की समीक्षा की है। वर्ष 2003 में आयोग ने शुल्क की एक और समीक्षा की। गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों से बिजली उत्पादकों की अपेक्षाओं के विपरीत, आयोग ने 20.3.2004 दिनांकित आदेश के माध्यम से शुल्क की राशि को कम कर दिया है। गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के उत्पादक संचार निगम।

आंध्र प्रदेश लिमिटेड। वी. मेसर्स रेन कैल्सनिंग लिमिटेड। & अन्य [अरुण मिश्रा, जे।]

ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी, जो दिनांकित आदेश है।

2.6.2006 , आयोग के दिनांकित 20.3.2004 आदेश को वैध घोषित किया। न्यायाधिकरण के समक्ष उठाए गए आधारों में से एक यह था कि 2.25 प्रति इकाई का खरीद मूल्य केंद्र सरकार के दिनांकित 7.9.1993 और आंध्र प्रदेश के उपर्युक्त जी. ओ. एम. एस. के आधार पर तय किया गया था। इसलिए आयोग इन सरकारी पत्रों में किए गए वादे से पीछे नहीं हट सका। याचिका को न्यायाधिकरण का पक्ष मिला। न्यायाधिकरण के दिनांकित 2.6.2006 के आदेश को अपीलों में चुनौती दी गई थी, जिसका निर्णय इस न्यायालय ने किया था। इस न्यायालय के समक्ष मुद्दों में से एक यह था कि क्या आयोग को एक आदेश पारित करने से रोक दिया गया था, जो सरकारी संचार दिनांक 7.9.1993,18.11.1997 और 22.12.1998 के प्रावधानों के विपरीत होगा। इस न्यायालय द्वारा अपीलों की अनुमति दी गई और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कानून की त्रुटि में पड़ गया कि विनियामक आयोग के पास शुल्क और तथाकथित प्रोत्साहनों की समीक्षा करने की कानून या अन्यथा कोई शक्ति नहीं थी। प्रत्यर्थी/खरीदारों/उत्पादकों/विकासकर्ताओं के लिए राज्य को हर समय बाध्य करने के लिए कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं थी

आओ। कोई निश्चित, स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए बहिष्कार की याचिका आकर्षित नहीं हुई थी। इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

जी. ओ. एम. सं. में राज्य द्वारा जारी आदेश। 93 और 112 ने बदले में शुल्क और शर्तों की समीक्षा के लिए प्रावधान किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कानून की त्रुटि में पड़ गया है कि
विनियामक आयोग के पास शुल्क और तथाकथित प्रोत्साहनों की समीक्षा करने की कानून या अन्यथा कोई शक्तियाँ नहीं थीं। अभिलेख पर प्रत्येक दस्तावेज प्राधिकरण की शक्ति को संदर्भित करता है /

आयोग सहित सभी पहलुओं की समीक्षा करेगा

शुल्क। 74. एक बार फिर, इन सभी समान प्रोत्साहनों के विस्तार का उल्लेख करते हुए, जीओएम संख्या 112 दिनांक 22-12-1998 के माध्यम से, जीओएम संख्या 93 दिनांक 18-11-1997 में कुछ संशोधन किए गए। इस आदेश के खंड 2 में उल्लेख किया गया है कि प्रोत्साहन योजना के संचालन पर तीन साल की अवधि के लिए नजर रखी जाएगी और तीन साल के अंत में बिजली बोर्ड उस रूप में प्रोत्साहनों को आगे जारी रखने के लिए समीक्षा के लिए उपयुक्त प्रस्ताव लाएगा, या उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा। इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य ने जीओएम संख्या 93 दिनांक 18 [2019] 17 एस. सी. आर.

11-1997 , प्रचार और राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए, सभी गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के संबंध में लाभों के विस्तार के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा डेवलपर्स से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया गया, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

समान रूप से।

दरों में परिवर्तन करने और/या तीसरे पक्ष को कोई बिक्री नहीं करने की शर्त लागू करने से वंचित हैं। हम इस विवाद में कोई योग्यता नहीं पा रहे हैं। हमारे विचार में, न्यायाधिकरण ने भारत सरकार, राज्य सरकार और आयोग/राज्य विद्युत बोर्ड के बीच इन अंतर-पत्रों और दिशानिर्देशों को स्पष्ट प्रतिबद्धताओं के रूप में मानने में कानून में गलती की है। प्रत्यर्थी/खरीदार/उत्पादक/विकासकर्ता ताकि आने वाले सभी समय के लिए राज्य को बांधा जा सके। अवरोध के सिद्धांत को आकर्षित करने के लिए, एक निश्चित और असंदिग्ध होना चाहिए

एक पक्ष को प्रतिनिधित्व जो तब उस पर कार्य करना चाहिए और फिर अकेले, कानून में परिणाम हो सकते हैं।

81. वर्तमान मामले में, केंद्र द्वारा जारी नीतिगत दिशा-निर्देश

सरकार राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव थे, जिन्हें राज्य सरकार ने उनकी आवश्यकताओं और शर्तों के अनुसार विचार, संशोधन या परिवर्तन करने के लिए स्वीकार किया और फिर इसके लिए प्रयास किए।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों को प्राप्त करना।

इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जनरेटर और खरीदार। ये ऐसे मामले हैं जो सुसंगत समय पर नियामक आयोग/राज्य विद्युत बोर्ड की क्षमता के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा डेवलपर्स से ऐसा कोई निश्चित और स्पष्ट वादा नहीं किया गया था जो प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत का आह्वान करेगा। निःसंदिग्ध रूप से गैर-पारंपरिक तरीकों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन प्रदान किए गए थे, लेकिन दिशानिर्देशों के साथ-साथ समय-समय पर पक्षों के बीच हस्ताक्षरित पी. पी. ए. एस. के तहत ये प्रोत्साहन परिवर्तन निगम के अधीन थे।

समीक्षा करें। किसी भी मामले में, मामले को पूरी तरह से शांत कर दिया गया था

20-6-2001 का आदेश और पी. पी. ए. ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए

उस समय के पक्षकारों ने भी ऐसी शर्तें प्रदान की थीं। अगर

इस तरह की शर्तें पक्षों को स्वीकार्य नहीं थीं, उन्हें चाहिए

उस समय या कम से कम एक के भीतर आपत्तियाँ उठाई हैं

इसके बाद उचित समय। समझौते न केवल किए गए हैं

पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित, लेकिन उन पर पूरी तरह से कार्रवाई की गई है

महत्वपूर्ण अवधि। हम पहले ही विभिन्न वैधानिक का उल्लेख कर चुके हैं।

प्रावधान जहाँ नियामक आयोग का अधिकार है -

शुल्क निर्धारित करें। इस स्थिति में हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं।

न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि विनियामक आयोग

इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और शुल्क के निर्धारण में शामिल नहीं है

उत्पादित बिजली की खरीद के लिए खरीद मूल्य।

82. प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत, भले ही यह लागू हो इस प्रकार, सरकार अभी भी दिखा सकती है कि इक्विटी पक्ष में है

सरकार का और रखे गए भारी बोझ का निर्वहन कर सकता है

उस पर। ऐसी परिस्थितियों में, प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत सरकार के खिलाफ लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि यह मुख्य रूप से है

समता का एक सिद्धांत। एक बार प्रोमिसरी एस्टोपेल की सामग्री

संतुष्ट हैं, तो इसे अधिकारियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है,

राज्य सहित, बहुत कम असाधारण अपवादों के साथ

यह अभी भी विकसित और विस्तारित हो रहा है। भारत में, कानून अधिक या जहाँ सरकार यह जानते हुए वादा करती है, उससे कम तय किया गया है

या यह इरादा रखते हुए कि इस पर वादा करने वाले द्वारा कार्रवाई की जाएगी और

तथ्य यह है कि वादा करने वाले ने इसके आधार पर काम किया है, सरकार कर सकती है

इस तरह के वादे से बंधे होने के लिए आयोजित किया जाए।

(जोर दिया गया)

71. उपरोक्त सरकारी आदेशों के संबंध में दिनांक 18.11.1997 आकर्षित नहीं है, और कोई स्पष्ट वादा नहीं था। हमारी राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ था, जिसके आधार पर प्रतिबादी निष्कासन की याचिका को आकर्षित किया गया था। सरकारी आदेश जिनका उल्लेख पहले किया गया है। न्यायाधिकरण ने एक आदेश पारित किया है, जिसके द्वारा उसने अस्थायी रूप से अवधि को 24.7.2001 तक बढ़ा दिया था। दिनांक 24.3.2002 के विवादित आदेश में, व्हीलिंग शुल्क के संबंध में गैर-पारंपरिक ऊर्जा डेवलपर्स द्वारा उठाई गई आपत्ति

के साथ और यह कहा गया था कि गैर-पारंपरिक ऊर्जा को बिना किसी भेदभाव के पहियों के शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और यह भी कहा गया था कि यदि सरकार किसी भी सब्सिडी का भुगतान करना चाहती है, वह लाइसेंसधारी को क्षतिपूर्ति देने के लिए नया आदेश पारित कर सकती है। उसके बाद सरकार ने कभी भी कोई सब्सिडी नहीं दी है, क्योंकि सब्सिडी की देखभाल वैधानिक प्रावधान द्वारा की जाती है।

विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार को धारा 62 के तहत राज्य आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क में किसी भी उपभोक्ता को कोई सब्सिडी देने की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार, किसी भी निर्देश के बावजूद, देगी।

जो धारा 108 के तहत दी जा सकती है, राज्य आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से सब्सिडी के अनुदान से प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए राशि का भुगतान अग्रिम रूप से और उस तरीके से करें जो निर्दिष्ट किया जाए। सब्सिडी/प्रोत्साहन धारा 65 द्वारा शासित है, और सरकार ने सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन जारी रखने के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। आयोग द्वारा पारित आदेश के कारण सरकार ऐसा करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने ऐसा लाभ नहीं दिया है। सब्सिडी देने के लिए राज्य को कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। 72. इस प्रकार, हम पाते हैं कि सरकारी आदेशों का लाभ जारी रखने के लिए ए. पी. टी. ई. एल. का आदेश प्रॉमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत पर आधारित है।

दिनांकित 18.11.1997 और 22.12.1998, को कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश को अलग रखा जा सकता है और ए. पी. ई. आर. सी. द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाना चाहिए।

73. परिणामस्वरूप, हमें अपीलों की अनुमति देनी होगी। व्हीलिंग शुल्क और ग्रिड से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश

जी. ओ. एम. एस. दिनांक 18.11.1997 और 22.12.1998 के अनुसार प्रोत्साहन जारी रखने के संबंध में ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित समर्थन शुल्क अलग रखे जाते हैं। अपीलों की अनुमति दी जाती है और ए. पी. ई. आर. सी. द्वारा पारित आदेशों को बहाल किया जाता है। कोई लागत नहीं।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

देविका गुजराल